उत्तराखण्ड में खड़िया खनन का प्रभाव

अध्ययनकर्त्ता
प्रताप सिंह गढ़िया

सौजन्य से
गिरि विकास अध्ययन संस्थान
सेक्टर 'ओ' अलीगंज हाउसिंग स्कीम
लखनऊ — 226 024

आमुख

उत्तराखण्ड के विभिन्न भागों में विविध प्रकार के खनिज विद्यमान हैं लेकिन इन सभी खनिजों का दोहन खनन लागत की दृष्टि से सम्भव नहीं है। उत्तराखण्ड के कुछ जिलों में खड़िया (सोप स्टोन) नामक खनिज विद्यमान है जिसके खनन की लागत कम व आर्थिक लाभ अधिक है। यही कारण रहा है कि खनन माफिया तंत्र. कृषकों की नाप भूमि से खड़िया खनन कर, क्षेत्र में अनेक पर्यावरणीय सामाजिक व आर्थिक प्रभाव डाल रहें हैं। जो भविष्य में उत्तराखण्ड के पर्वतीय सम्भाग के लिये एक विचारणीय विषय है।

प्रस्तुत अध्ययन गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता से सम्भव हो पाया है। मैं संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह का आभारी हूॅ जिन्होंने मुझे इस अध्ययन को करने की प्रेरणा तथा आर्थिक सहायता प्रदान की। मैं संस्थान में अपने वरिष्ठ सहयोगियों–प्रोफेसर आशुतोष जोशी, डा0 योगेन्द्र पाल सिंह व डा0 गोविन्द सिंह मेहता का भी आभारी हूॅ जिन्होंने अध्ययन हेतु अपने सुझाव दिये। मैं बागेश्वर जनपद के जिलाधिकारी व खनन प्रभारी का भी आभारी हूॅ जिन्होंने उपलब्ध द्वितीयक आंकड़े प्रदान किये। मैं श्री बी.सी. तिवारी, शोध सहायक जो कि आंकड़ों के संकलन व सारणीयन में उत्तरदायी थे का आभार प्रकट करता हूॅ। अन्त में मैं श्री दीपक शर्मा, जिन्होंने अध्ययन में प्रस्तुत चित्रों का वृहतीकरण किया तथा श्रीमती गीता बिष्ट का आभारी हूॅ जिन्होंने समय पर टंकण कार्य पूरा किया।

दिनांक : 30.03.2008

डा0 प्रताप सिंह गढ़िया

UTTARAKHAND
Mineral
N
HIMACHAL PRADESH
Uttarkashi
CHINA
Rudra
Prayag
Dehradun
HARYANA
Tehri Garhwal
Chamoli
Bageshwar
Pithoragarh
Pauri
Haridwar
Almora
UTTAR PRADESH
NEPAL
Nainital
Champawat
Udham Singh
Nagar
LEGEND
Limestone
Gypsum
Iron Ore
Graphite
Copper
Map not to scale
Copyright © 2007 Compare Infobase Ltd.

BAGESHWAR
District Map
N
Chamoli
Sundardhunga
Phurkiya
Dwali
Semdagarh
Shagagara
Khati
Dhakuri
Supi
Sunihg
Karmi
Loharknet
Dana
Leti
Hokara
Simgadi
Udiyar
Pothin
Sang
Shamadhura
Agarkot
Sirkot
Pajena
Salyani
Kapkot
Pharsali
Shama
Sengad
Agar
Harabar
Harsila
Darun
Nayali
Thakala
Garur
Baijgaon
Dophar
Syakot
Almora
BAGESHWAR
Ratabe
Kanda
Tharap
Sani Udiyar
Chhauna
Pithoragarh
LEGEND
District Boundary
Major Road
District Headquarter
Other Town
River
Map not to Scale
Copyright © 2007 Compare Infobase Limited

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

अध्याय–1

अध्ययन का उद्देश्य व अध्ययन पद्धति

प्रस्तावना :

अपने पैतृक राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवम्बर 2000 को उत्तराखण्ड देश का सत्ताइसवां राज्य बना, जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53483 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखण्ड के भौगोलिक क्षेत्रफल का 88 प्रतिशत भाग पर्वतीय व 12 प्रतिशत भाग मैदानी क्षेत्र में आता है। प्रदेश के उत्तर में चीन तथा पूर्व में नेपाल की अर्न्तराष्ट्रीय सीमायें आती है जबकि उत्तर पश्चिम मे हिमाचल प्रदेश तथा दक्षिणी भाग में उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। प्रशासनिक दृष्टि से उत्तराखण्ड दो मण्डलों –कुमायूं व गढ़वाल, 13 जिलों, 78 तहसील, 95 विकास खण्ड, 7227 ग्राम पंचायत, 16826 रिहायसी गांवों तथा 86 शहर/कस्बों में बंटा हुआ है। कुल 84.80 लाख जनसंख्या में उत्तराखण्ड की लगभग तीन चौथाई जनसंख्या (63.08 लाख) ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। कृषि उत्तराखण्ड की जनसंख्या का आधार होते हुए भी कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल के 13.1 प्रतिशत भाग मे ही खेती की जाती है जबकि कृषि कार्य में 67 प्रतिशत कर्मकर संलग्न है। उत्तराखण्ड में एक ओर जहां दूनघाटी, नैनीताल का तराई क्षेत्र, उधमसिंह नगर और हरिद्वार जिले अनाजों की आपूर्ति करने में सक्षम है वहीं दूसरी ओर पर्वतीय सम्भाग सेब, सन्तरे, पपीता, आम, लीची, नींबू व केले जैसे फलों की आपूर्ति करता है।

यद्यपि उत्तराखण्ड के पर्वतीय सम्भाग की अधिकतर जनसंख्या कृषि में लगी है, लेकिन कृषि इस क्षेत्र में न आय का मुख्य स्त्रोत रही है और न ही भविष्य में इसके मुख्य आय स्त्रोत बनने की सम्भावना है। यह बात बहुजन से स्पष्ट हुई है कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय सम्भाग में कृषि न केवल अनार्थिक है वरन चट्टानों व अधिक ऊँचाई वाले भू–भाग में अलाभकारी भी है। आधुनिक कृषि के सम्बन्ध में ज्ञान का अभाव, सिंचाई के साधनों की कमी व भूमि की छोटी छोटी जोतें कृषि उत्पादकता में वृद्वि करने मे असमर्थ रहे है। जहां

एक ओर कृषि विकास की सम्भावनायें नगण्य है वहीं दूसरी ओर बड़े व मध्यम उद्योगों को आवश्यक अवस्थापनाओं की कमी, स्थानीय साहसियों की न्यूनता व उनके प्रबन्धकीय ज्ञान का अभाव, कच्चे माल की अनुपलब्धता व वित्तीय समस्याओं के साथ साथ पर्यावरणीय प्रदूषण के खतरों के कारण पर्वतीय सम्भाग में स्थापित करना असम्भव व दुष्कर कार्य है जबकि उत्तराखण्ड के मैदानी सम्भाग में बड़े–बड़े उद्योगों की सम्भावना के साथ साथ सरकारी प्रयासों से इन उद्योगों को स्थापित किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड का पर्वतीय सम्भाग प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से अति सम्पन्न है जिसके 62 प्रतिशत भू–भाग में हरे भरे वन है वहीं दूसरी ओर हिमालय की उच्च पर्वत श्रेणियों में विभिन्न प्रकार के व विभिन्न युगों के पाषाणों के नीचे पर्याप्त धातुयें व अन्य खनिज विद्यमान है। अभी तक भू–वैज्ञानिकों ने अपने सर्वेक्षणों के आधार पर चूना पत्थर, डोलोमाइट, फास्फोराइट, मैग्नेसाइट, तांबा, शीशा, टिन, जिप्सम, आर्सेनोपराइट, ग्रेफाइट, सोप स्टोन (खड़िया) और यूरेनियम जैसे मुख्य खनिजों का पता लगाया है, इसके अलावा वेराइट स्लेट, सैण्ड स्टोन और बालू मौरंग जैसे गौण खनिजों का भण्डार उत्तराखण्ड में मौजूद है।

उत्तराखण्ड के पर्वतीय सम्भाग में खनन की पृष्ठभूमि को देखने से ज्ञात होता है कि (जयन्त बन्दोपाध्याय 1989) सर्वप्रथम मसूरी के पहाडों से गिरने वाले बड़े–बड़े चूने के पत्थरों को जलाकर चूना तैयार किया जाता था और धीरे–धीरे इस प्रकार बने चूने को प्रदेश के मैदानी भागों मे निर्यात किया जाने लगा। ब्रिटिश शासन काल में चूना पत्थर के प्रसंस्करण हेतु कोई खनन नीति नहीं बनी थी केवल वन विभाग विभिन्न नाले व धाराओं से बहकर आने वाले चूना पत्थरों को पांच रूपया घन फिट के हिसाब से बेचा करता था। कालान्तर में दून घाटी के चूना पत्थर के आर्थिक महत्व को देखते हुए सरकार के अपना एकाधिकार दर्शाने का प्रयास किया, लेकिन तत्कालीन भू–स्वामियों ने न्यायलयों में इसके लिए अपनी आवाज उठाई और न्यायलयों ने इसके विरूद्व अपना निर्णय सुनाया लेकिन सन् 1904 के अन्तरिम आदेश में सरकार ने सभी खननों को अपनी सम्पत्ति घोषित कर दिया। सन् 1910 तब दून घाटी के क्रमश दो–दो पूर्वी व पश्चिमी भागों में खनन कार्य जारी रहा। कुल मिलाकर उन्नीसवीं शताब्दी तक 6500 टन चूने का उत्पादन किया गया था।

सन् 1936 में चूना पत्थर का दोहन संगठित रूप से किया जाने लगा क्योंकि उसी काल में भट्टा गांव में संगमरमर की खानों को देहरादून व मसूरी मार्ग में खोला गया। यह ध्यान देने योग्य है कि इस काल में ग्रामीणों द्वारा किये गये विरोध के कारण खनन कार्य सन् 1947 तक लघु रूप में ही सम्पन्न हो पाया, क्योंकि देश विभाजन के कारण पाकिस्तान से आने वाला उच्च श्रेणी का चूना जिसका इस्तेमाल उत्तर भारत के शक्कर व वस्त्र उद्योग में होता था उसका स्थान दून घाटी से निकलने वाले चूना पत्थरों ने ले लिया। सन् 1949 में भारत सरकार ने खनिज रियायत कानून के तहत खान व खनन नियमितिकरण कानून (माइन्स एण्ड मिनरलस रेगुलेशन एक्ट) 1948 को पास किया। जिसके अनुसार दून घाटी में खनन हेतु राज्य के उद्योग विभाग द्वारा 20 वर्षीय खनन खोज के लिए प्रार्थना पत्र आमन्त्रित किये गये लेकिन लीजों की स्वीकृति खनन की अधिक सम्भावनाओं के सम्बन्ध में पर्याप्त सूचना उपलब्ध न होने के कारण तुरन्त नहीं दी गयी। सन् 1959 में भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा दून घाटी में उपलब्ध चूना पत्थर का सर्वेक्षण कर वहां लगभग 400 मिलियन टन चूना होने का अनुमान लगाया गया। सन् 1960 में उत्तर प्रदेश सरकार ने खनन रियायत नियम को पारित किया जिसके अनुसार दून घाटी में 20 वर्ष हेतु खनन लीजें प्रदान की गयी। प्रारम्भ में 17 लीजें दी गयी जिसका क्षेत्रफल 450 हेक्टेयर था लेकिन अस्सी के दशक के प्रारम्भ में लीजों की संख्या 100 हो गयी और ये 1400 हेक्टेयर में फैले थें। सत्तर के दशक में कुमायूं के झिरौली मैग्नेसाइट, अल्मोड़ा व चण्डाक, उड़ीसा मैग्नेसाइट पिथौरागढ़ जैसे विशाल खनन कार्य उत्तराखण्ड में प्रारम्भ किये गये।

यद्यपि उत्तराखण्ड के कुमायूं क्षेत्र में भी जहां चूना पत्थर उपलब्ध थे वहां के ग्रामवासियों द्वारा लकड़ी की भट्टी बनाकर अपने इस्तेमाल के लिए चूना तैयार किया जाता रहा लेकिन इसका वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया गया। इसके साथ साथ उत्तराखण्ड में पक्के मकानों के घर होने के कारण स्थानीय लोग घरों की दीवार बनाने व आंगन में बिछाने के पत्थर बनाने तथा घरों की छत बनाने के लिए स्लेट का खनन करते रहे है। इसके अलावा घरों में सीमेण्ट लगाने के लिए नदियों से बालू व सडकों के निर्माण हेतु कंक्रीट जैसे गौण खनन का उपयोग विकास के साथ–साथ होते रहा है।

उत्तराखण्ड के पर्वतीय सम्भाग में खनन कार्य सरकारी नीतियों व निजी हितों के बीच एक जटिल व विवादास्पद मोड़ पर स्थित है। एक तरफ जहां सन् 1988 की वन नीति का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता व पारिस्थितिकीय सन्तुलन को बनाये रखना है वहीं दूसरी ओर पर्वतीय क्षेत्र के दो–तिहाई क्षेत्र संरक्षित वन के अन्तर्गत हो ताकि भूमि कटाव, धंसाव को रोका जा सके। कुल मिलाकर सरकार दो तरह की नीति पहला खनिज संसाधनों का औद्योगिक विकास की दृष्टि से अधिकतम शोषण तथा दूसरा हिमालय क्षेत्र के पर्यावरण पर छेड़छाड़ नहीं करने की नीति अपना कर **विनाश के बिना विकास** की परिकल्पना करती है। खनन से सम्बन्धित विभागों का भी यह विचार रहता है कि औद्योगीकरण विकास की कुन्जी है और खनिंज इस औद्योगीकरण के लिए कच्चा माल है। इसी कारण सरकार ने उत्तराखण्ड के पर्वतीय सम्भाग में अनेक खनिजों की पहचान की है और उसका दोहन कर रही है। यही कारण रहा है कि सत्तर के दशक के बाद उत्तराखण्ड में खडिया खनन का कार्य अबाध गति से चलता आया है।

इस बात की सभी लोगों ने पुष्टि की है कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय सम्भाग में मानव व भूमि का अनुपात पर्वतीय लोगों के जीविकोपार्जन की दृष्टि से असन्तुलित है, अब खनन कार्य से इस भूमि को नुकसान पहुचाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सन् 1986 में खनन के दुष्परिणामों पर कौसानी में हुए संगोष्ठी पर हिमालयन मैन एण्ड नैचर पत्रिका के सम्पादकीय में उद्वरित किया गया है कि खनन से होने वाले नुकसान बहुत ही भयंकर है। आप पेड़ काट कर फिर से पेड़ उगा सकते है, परन्तु पहाड़ खोदकर फिर पहाड़ नहीं उगा सकते है। पहाड़ को खोदकर हम केवल वहां से मिट्टी, गारा या खनिज पदार्थ ही नहीं ले रहे है अपितु हम वहां के लोगों का जीवन भयंकर रूप से असुरक्षित कर रहे है। आने वाले वर्षो में यदि खनन नहीं रूकता तो गांव के गांव पत्थर गिरने से समाप्त हो जायेंगे । कितने हरे भरे खेतों और मकानों को नुकसान होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

राधा बहन 1983 ने लिखा है कि पर्वतवासी भूगर्भ वैज्ञानिकों ने कई बार चेताया है कि कुमायूं और गढ़वाल की चट्टानें गतिशील क्रिया से गुजर रही है। अतः इन पहाड़ों को छेड़ने का विचार तो दूर इनकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। परन्तु इसके बाद भी जगह जगह पर खनन जाल अन्धाधुन्ध बिछाया जा रहा है। बारूद के धमाके पचासों जगह से

धरती को हिला रहे है। कुमायूं में झिरौली व चण्डाक के मैग्नेसाइट खनन जैसे विशाल खनन कार्य हो या छोटी छोटी खड़िया खदानें हो, ये सभी यहां की धरती को क्षत विक्षत कर पर्वतीय जीवन को असम्भव बना रहे है। हम धन को समृद्धि मानकर देश की समृद्धि के असली तत्व वन, खेत, मिट्टी, पानी को नष्ट करने से नहीं हिचक रहे है। सच्ची समृद्धि तो यह है कि वन पुष्ट हो, नदियों में जल हो, खेतों मे उपजाऊ मिट्टी तथा लोगों के हाथों में ऐसे उद्योग हो जिनके कच्चे माल गाय के थनों के दूध की तरह एक बार दुहने पर पुनः पैदा होते है।

प्रताप शिखर (1987) ने लिखा है कि यदि हम अतीत में मंसूरी में किये गये खनन की ओर दृष्टि डालें तो पाते है कि खनन के कारण गौचर भूमि का नाश हुआ और वहां पशुपालन अलोकप्रिय और कृषि दोयम दर्जे की हो गयी। पानी के स्रोत, पेड़ पौधे व खेत नष्ट हुए तो पानी की कमी से अन्न उत्पादन कम हुआ। स्थापित लोगों के विस्थापित होने के साथ साथ डायनामाइटों के धमाकों से स्थानीय ग्रामीणों के पशु तो क्या जंगली पशु भी गांव के वन छोड़कर भाग गये। तापमान की अकल्पनीय वृद्वि, फसलों की कुछ अद्भुत किस्में व फलों की बेमिसाल किस्में वहां उगती ही नहीं है।

राधा भट्ट (1985) ने अपने सर्वेक्षण में पाया है कि अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड खनन परियोजना की विषाक्त मैग्नेशियम कार्बोनेट की धूल से जनजीवन, वनस्पति तथा जल स्रोत दूषित हो गये है। इसका दुष्प्रभाव खेती पर भी पड़ रहा है और उसकी उर्वराशक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अधिकांश लोग टी0बी0, श्वास, पेशाब तथा पेट रोगों से ग्रसित हो रहे है। चण्डाक में उड़ीसा मैग्नेसाइट इण्डस्ट्रीज के खनन से पपदेव, बजेठी, छानादूंगा व चण्डाक क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। डायनामाइटों के विस्फोट के कारण जल स्रोत भूमिगत हो रहे है। खानों में हो रहे विस्फोटकों के कारण पहाड़ कमजोर व जर्जर होते जा रहे है। इसका प्रत्यक्ष दुष्परिणाम यह है कि थोडी सी वर्षा होने पर भूस्खलनों का अभिशाप और जनजीवन अस्त व्यस्त। इन विस्फोटों के कारण आस पास के गांवों के भवनों में दरारें आ गयी है। यह बात भी आमतौर पर सुनी जाती है कि विस्फोट के समय तवे की रोटी उछल जाती है और सोते हुए बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगते है। अल्मोड़ा जनपद के खीराकोट गांव की पंचायत से खड़िया खनन से चरागाह में

गहरे गड्ढें बनने से कई पशु उनमे गिरकर मर गये। खान का मलबा वर्षा के पानी के साथ–साथ कृषि योग्य भूमि में जाने से खेतों को बन्जर बनाता जा रहा है।

उत्तराखण्ड में जहां खनन के अनेक पर्यावरणीय खतरे है वहीं दूसरी ओर यदि हम रोजगार की दृष्टि से देखें तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार खनन में 827 करोड़ रूपया खर्च करने पर मात्र 1350 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है अर्थात पूंजीगत व्यय की तुलना में इस उद्योग में रोजगार देने की क्षमता कम है। राधा भट्ट (1985, 1988) ने भी पाया है कि खनन उद्योग 13 लोगों को रोजगार देकर 1300 लोगों को उनकी पुश्तैनी जमीन से विस्थापित करता है। यह भी देखा गया है कि खनन लीजधारी स्थानीय मजदूर को नहीं चाहते है, क्योंकि स्थानीय मजदूर खनन के समय पूर्णकालिक मजदूर नहीं हो सकता है क्योंकि वह तो मूलतः कृषक है, इसलिए खान मालिक नेपाली व गोरखपुरी मजदूर को वरीयता देते है। इसका मुख्य कारण यह रहा है कि स्थानीय मजदूर चोट लगने व खान में दबने व गिरने से मौत होने पर पूरा गांव व परिवार उसके साथ होकर मुआवजे की मांग करते है जबकि दूर से बुलाया गया परदेशी मजदूर मर भी गया तो खान मालिक की पूंजी पर कोई असर नहीं पड़ता है।

मसूरी चूना पत्थर खनन का विरोध शुरू से होता रहा। महिला मण्डल, युवक मण्डल तथा पर्यावरण संरक्षण समिति इसमें सबसे अग्रणी रहे। पर्यावरण संरक्षण समिति ने यह नारा भी दिया

मिट्टी, पत्थर, पानी, पेड़ । बन्द करो तुम इनसे छेड़ ।
ऊपर देखो जहां खदान । नीचे खेती रेगिस्तान ।।
पहाड़ की हड्डी टूटेगी । देश की धरती डूबेगी ।
खान खोदने वालो सोचो । धरती मां की खाल न नोचो ।।

तमाम धरना, प्रदर्शनों व विरोध के बावजूद भी खननकर्ता खनन का कार्य जारी रखे हुए थे। लगभग तीन दशकों से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व चमोली जिले के कई घाटियों, चोटियों व ढलानों पर पचासों खड़िया खनन अन्धाधुन्ध तबाही जैसे तूफानी ढंग से चलते रहे है। यहां तक की भूगर्भ वेत्ताओं द्वारा संवेदनशील घोषित पट्टियों में भी धड़ाघड़ नयी खानों की लीज स्वीकृत की जाती रही है चाहे वह भूमि चारागाहों, सिविल या पंचायती वनों की हो। फलस्वरूप माननीय उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गयी।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका के माध्यम से सन् 1980 के बन अधिनियम के अनुसार परिभाषित वन भूमि में खनन कार्य मे सन् 1996 में रोक लगा दी गयी। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 में वर्णित ''**वन भूमि** '' शब्द का अर्थ है आरक्षित वन, सुरक्षित वन या सरकारी रिकार्डो में वन के रूप में दर्ज किया गया कोई क्षेत्र। भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचित वन भूमि भी वन अधिनियम 1980 की परिधि में आयेगी। वनोत्तर प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी चाहे वह क्षेत्र निजी स्वामित्व में क्यों न हो।

खनन के सम्बन्ध में वन अधिनियम पृ 2.3 में स्पष्ट किया गया है कि भूमिगत खनन सहित खनन कार्य एक वनेत्तर गतिविधि है। अतः किसी वन क्षेत्र के सम्बन्ध में खनन पट्टा मंजूर किये जाने से पूर्व केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। यह अधिनियम केवल खनन के सतही क्षेत्र पर ही नहीं लागू होगा, बल्कि वन के नीचे के सम्पूर्ण भूमिगत खनन क्षेत्र पर लागू होगा। किसी वन क्षेत्र में मौजूदा खनन के पट्टे के नवीनीकरण के लिए भी केन्द्र सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक होगी। किसी खनन पट्टे की अवधि के समाप्त होने पर केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना खनन कार्य जारी रखना या फिर से शुरू करना, अधिनियम का उल्लंघन होगा। वनों के भीतर स्थित नदी घाटियों में पाये जाने वाली शिलाखण्ड, बजरी, पत्थर, बालू आदि वन भूमि के ही भाग होते है तथा उन्हें वहां से ले जाने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी अपेक्षित है।

दिसम्बर 12, 1996 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रति मिलने के उपरान्त तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश संख्या 208/14–2–97–405/2001/96 के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों, खनन व उद्योग निदेशकों, प्रमुख सचिवों व वन संरक्षकों को इस आशय से से पत्र प्रेषित किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अक्षरशः अनुपालन हो सके। सरकार के शासनादेश के बावजूद वन व पंचायत भूमि पर खनन कई वर्षो तक होता रहा और आज भी अवैध रूप से खनन कार्य जारी है, यद्यपि एक तरफ राज्य सरकार के शासनादेश व माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद कुछ क्षेत्रों में खनन कार्य अवश्य बन्द हुआ लेकिन दूसरी तरफ सन् 1893 में नाप घोषित की गयी भूमि में नई नई लीजें स्वीकृत करने का कम जारी रहा क्योकि नाप भूमि में खनन पर

रोक नहीं है। आज उत्तराखण्ड में खड़िया खनन के ठेकेदार कुकुरमुत्तों की तरह उग आये है।

वर्तमान में कुमायूं के कुछ चुनिन्दा स्थलों जैसे नाचनी, पिथौरागढ़ तथा बागेश्वर जिले के पुंगर घाटी के तुपेड़ झड़कोट, नौगांव, मैठारा, उडयार, किड़ई, रीमा, दियाली, करौली, वाफिलागांव, बैकुडी, ठाडाईजर/रैखोला गांव, वडयूड, पपों, चिडंग, तथा बागेश्वर विकास खण्ड के किरौली, काण्डा सुनार गांव, थर्प, काण्डा कन्याल, सुरकाली, धपोली, मुस्यौली, बखेत, गणुवासर मौली, जत्थाकोट, विजयपुर, सिरालागांव, जखेडा, शीशाखान, जोशीगांव, पोखरी, कुनौली, चौवट्टा ईड़ा तथा सरयू घाटी के ग्राम वसकूना, चौडा–स्थल, लीती, ओलिया गांव, रताईस, बटाला गांव तथा टोटीगाड क्षेत्र में खड़िया खनन में माफिया तत्वों में होड़ मची है। यद्यपि कुछ खनन करने वाले लीजधारी है लेकिन कुछ लोग खनन अधिकारियों व सरकारी मशीनरी को मात्र प्रार्थना पत्र देकर अपने को लीजधारी समझने लगे है। गांवों के सीमान्त व लघु कृषक भी खड़िया की मांग व उंची कीमत के कारण स्वयं अपने खेतों से मजदूर लगाकर खड़िया खनन प्रतियोगिता में लगे है और खनन माफियाओं को खड़िया की आपूर्ति भी आसान हो गयी है क्योंकि अब उनको मजदूर लगाने की कम आवश्यकता पड़ती है।

आजादी के 50 वर्षो तक विभिन्न सरकारी विभागों ने जो पेयजल योजनाओं, नहरें, गूल, पैदल रास्ते व सड़कें बनायी हैं वे ध्वस्त होने के कगार पर है। इसके अलावा विद्यालय भवनों व आवासीय भवनों को खतरा बना हुआ है। कई स्थानों पर खनन मानकों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। सीमान्त व लघु कृषक खनन में प्रतियोगिता करने के कारण भूमिहीन हो रहे है दूसरी ओर खनन से जो आय प्राप्त हो रही है उसका अधिकतर उपयोग मादक द्रव्यों के सेवन में हो रहा है। परिणामस्वरूप अब कुछ कृषकों के पास नाम मात्र की जमीन रह गयी है और खड़िया से प्राप्त आय का दुरूपयोग हो चुका है। यदि हम पुंगर घाटी के खनन क्षेत्र को देखे तो सारी धरती मलबे के कारण रंगीन बन चुकी है, बहू–बेटियां जो पहले पूरे जेवरातों को पहन कर अपने मायके व ससुराल जाती थी, वे अब नेपाली मजदूरों या अन्य चोर उचक्कों के भय से ग्रसित है यहां तक कि मैदानी क्षेत्र में

अपराध करने वाले अपराधी इन खनन क्षेत्रों मे रोजगार पाने के साथ–साथ छिपने की आजादी भी पा जाते है।

बढ़ती जनसंख्या व सम्बन्धित विभागों द्वारा वनीकरण में की गयी लापरवाही के कारण वैसे ही पिण्डर व पुंगर घाटियों तथा काण्डा क्षेत्र में जलाऊ लकडी का अभाव था। अब खनन मजदूरों द्वारा जो भी वनस्पति मिल रही है उसका अन्धाधुन्ध कटान किया जा रहा है। इन जगहों की महिलाओं के कष्टों में भी अभिवृद्वि हुई है क्योंकि अब उनको चारा व ईंघन लाने में अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। मानव निर्मित व प्राकृतिक कई कारणों से होने वाले भू–स्खलनों, नदी तलों के बढते उथलेपन तथा साल दर साल बाढ़ों के बढ़ते वेग की राष्ट्रीय चिन्ताओं के बावजूद खनन उद्योग के लिए लीजों की स्वीकृति होते जा रही हे।

उत्तराखण्ड में खनन विशेषकर खड़िया खनन के सम्बन्ध में उपलब्ध साहित्य के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि क्या विगत लगभग 60 वर्षों से किये गये विकास कार्यों, पर्यावरण स्त्रियों के कार्यों में अभिवृद्वि, कृषि उत्पादकता का ह्रास स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त न होना, सरकार को समुचित आय न होना व खनन माफियाओं के भय से स्थानीय लोगों में परेशानी आदि विषय उभर कर सामने आ रहे है। इन बातों में कितनी सत्यता है इसके लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर यह अध्ययन किया गया है ताकि स्थानीय लोगों की समस्याओं को उजागर कर यह अध्ययन खनन की भावी रीति व नीति पर प्रकाश डाल सके।

1.2 अध्ययन के उद्देश्य :

प्रस्तुत अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों पर आधारित है :

1 जिन क्षेत्रों में खड़िया खनन किया जा रहा है क्या वह खनन मानकों व शर्तो के अनुसार है?

2 खनन क्षेत्रों व उससे जुड़े क्षेत्रों के लोगों के आर्थिक व पर्यावरणीय स्थिति पर खनन का क्या प्रभाव पड़ रहा है?

3 खनन उत्पाद बिक्री प्रतिस्पर्धा एवं खनन में रोजगार देने में लाइसेंस धारियों व स्वंय के खेतों मे खनन करने वालो व क्षेत्रवासियों के बीच सम्बन्धों की स्थिति का अध्ययन।

1.3 अध्ययन पद्वति व प्रतिदर्श आकार :

अध्ययन के उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड के तेरह जिलों में जिस जनपद में सबसे अधिक खड़िया खनन व खानें है उसका चयन किया गया। वर्तमान में बागेश्वर जनपद में सबसे अधिक 42 खनन लीजें स्वीकृत है अतः अध्ययन हेतु बागेश्वर जनपद का चयन किया गया। बागेश्वर जनपद में दो विकास खण्डों में पहला बागेश्वर व दूसरा कपकोट विकास खण्ड का चयन किया गया क्योंकि इन दो विकास खण्डों के सबसे अधिक गांवों में खनन कार्य किया जा रहा है। गांवों के चयन के लिए सर्वप्रथम बागेश्वर जनपद में खड़िया खनन वाले गांवों की सूची तैयार की गयी। सूची के आधार पर जिन गांवों में 25–30 वर्षो से लीजधारियों द्वारा खनन किया जा रहा है और नये नये लीज पट्टे जारी किये गये है, उसको आधार बनाया गया। इस आधार पर विकास खण्ड कपकोट का बाफिला गांव व बागेश्वर विकास खण्ड के झड़कोट गांव का चयन किया गया।

गांवों के चयन के बाद प्रश्नावली के माध्यम से स्वंय खनन करने वाले 10 परिवारों (प्रत्येक गांव से 5 परिवार) तथा खनन से प्रभावित होने वाले 20 परिवारों (प्रत्येक गांव से 10 परिवार) अर्थात् कुल 30 परिवारों से प्रत्यक्ष साक्षात्कार लिया गया। इसके अलावा लीजधारियो के कर्मचारियों, विभाग के कर्मचारियों, खनन मजदूरों, चयनित गांव व क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों से क्षेत्र में खनन से होने वाले प्रभावों पर चर्चा कर जानकारी ली गयी। प्राथमिक आंकड़ों के संकलन के साथ जनपद में स्थित खनन कार्यालय में उपलब्ध द्वितीयक आंकड़ों का सहारा भी लिया गया है।

अध्याय : 2

खड़िया खनन लीज नियमावली, नीति व खनन की शर्तें

2.1 अध्ययन क्षेत्र परिचय : खनिज लीज/पट्टे लेने के तरीके व खनन लीज की शर्तों को जानने से पूर्व यहाँ अध्ययन क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण देना भी उचित होगा। बागेश्वर जनपद जिसका चयन खड़िया खनन से होने वाले प्रभावों को परखने के लिए किया गया जनपद अल्मोड़ा से विभाजित कर सन् 1997 में बागेश्वर की स्थापना नयी जिले के रुप में की गयी थी। जनपद बागेश्वर का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 139221 हैक्टेयर है। जनपद बागेश्वर पूर्व व उत्तर में पिथौरागढ़, दक्षिण में अल्मोड़ा तथा पश्चिम में चमोली जनपद से घिरा हुआ। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से जिले से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।

1. उच्च्व हिमालयी क्षेत्र 2. निचला पर्वतीय भाग 3. घाटियां

विकास खण्ड कपकोट का अधिकतर भाग उच्च्व हिमालयी क्षेत्र में आता है जो बर्फ से ढका रहता है जबकि निचले पर्वतीय सम्भाग में सीड़ीनुमा खेत बने है जिसमें अनेक तरह के फसलों को उगाया जाता है तथा चारे हेतु घास को पाला जाता है। नदी किनारे की घाटियों को सेरों के नाम से जाना जाता है जो सिंचाई साधनों की सुविधा के कारण निचले पर्वतीय भाग से अधिक उपजाऊ होते है। जनपद बागेश्वर में सरयू, पिण्डर, लाहुर, पुंगर और पूर्वी रामगंगा नदियां बहती है। उच्च्व हिमालयी क्षेत्र के निचले भाग में बांस, खरसू, काफल, बुरांस आदि किस्मों के वृक्ष पाये जाते है। प्रशासनिक दृष्टि से बागेश्वर जनपद 3 तहसील, 3 विकास खण्ड, 883 आबाद ग्राम व 363 ग्राम पंचायतों में बंटा है। जिसमें कुल 249462 लोग निवास करते है, जिसमें 118512 पुरुष तथा 130950 महिलायें है। जनपद की 96.87 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। बागेश्वर जिला खड़िया उत्पादन का मुख्य क्षेत्र है, इसके अलावा मैग्नेसाइट, चूना पत्थर तथा स्लेट जैसे मुख्य खनिज क्षेत्र में विद्यमान है। जहाँ जनपद के काफलीगैर नामक क्षेत्र में सीमेन्ट व मैग्नेसाइट की फैक्ट्री विद्यमान है वहीं कपकोट में कालीन बुनाई व रिंगाल के उत्पाद बनाने

तथा खरही क्षेत्र में तांबे के बर्तन बनाने के लघु उद्योग है। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार बागेश्वर जनपद के कर्मकार किन–किन कार्यों में संलग्न है उनका विवरण तालिका संख्या 2.1 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या 2.1 बागेश्वर जनपद में जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण (मुख्य कर्मकर)

आर्थिक वर्ग	संख्या	प्रतिशत
जनसंख्या	249462	—
कृषक	63505	74.18
कृषि श्रमिक	852	0.99
पारिवारिक उद्योग	1696	1.98
अन्य कर्मकर	19560	22.85
कुल मुख्य कर्मकर	85613	100.00
कार्य सहभागिता दर	34.31	—

स्रोतः सांख्यिकी डायरी, उत्तरांचल 2002–03, अर्थ एवं संख्या निदेशालय देहरादून।

रोजगार के अन्य साधनों की न्यूनता के कारण जनपद बागेश्वर की लगभग 75.0 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। यह भी विचारणीय है कि कुल जनसंख्या के मात्र 34.0 प्रतिशत लोग ही मुख्य कर्मकर है। तालिका संख्या 2.2 में जनपद बागेश्वर के भू–उपयोग के आंकड़ों को दर्शाया गया है। तालिका से ज्ञात होता है कि कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का मात्र लगभग 19.0 प्रतिशत क्षेत्रफल ही शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल के अन्तर्गत आता है। नदियों का जनपद में जाल बिछा होने के पर भी शुद्ध बोये क्षेत्रफल का मात्र लगभग 23.0 प्रतिशत भाग शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल के अन्तर्गत है। यद्यपि भारत सरकार की वननीति के अनुसार कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल के दो तिहाई भू–भाग में वन होने चाहिए लेकिन बागेश्वर जनपद के मात्र लगभग 48.0 प्रतिशत क्षेत्रफल में वन विद्यमान है जबकि लगभग 5.0 प्रतिशत क्षेत्रफल ऊसर व खेती के अयोग्य भूमि में आता हैं। यद्यपि चारागाह तथा अन्य वृक्षों के अन्तर्गत लगभग 16.0 प्रतिशत क्षेत्रफल दर्शाया। गया है लेकिन ये आंकड़े आशंका पैदा करते है। क्योंकि अधिकतर गांवों के चरागाहों में निजी व्यक्तियों का कब्जा हो गया है। (कृपया तालिका संख्या 2.2 को देखें) जहाँ बागेश्वर जनपद में 75.0 प्रतिशत लोग कृषि से अपनी आजीविका चला रहे है और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के केवल 19.0 प्रतिशत भू–भाग शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल के अन्तर्गत है अब इस भू–भाग में खड़िया

खनन किन शर्तों व अधिनियमों के तहत किया जा रहा है? क्या खनन मानकों के आधार पर हो रहा है? इसका उल्लेख अगले भाग में किया गया है।

तालिका संख्या 2.2 जनपद बागेश्वर में भूमि उपयोगिता के आकड़े (1999–2000)

(हैक्टेयर में)

1. कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल	139221	(100.00)
2. वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	66236	(47.58)
3. ऊसर और खेती अयोग्य भूमि	6623	(4.76)
4. खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि	3590	(2.58)
5. कृषि बेकार भूमि	12381	(8.88)
6. चरागाह तथा अन्य वृक्षों झाड़ियों आदि की भूमि	22061	(15.84)
7. परती भूमि	1742	(1.25)
8. शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	26588	(19.10)
9. शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत	6070	(22.82)

स्रोत : सांख्यिकी डायरी, उत्तरांचल 2002–03, अर्थ एवं संख्या निदेशालय देहरादून।

2.2 उत्तराखण्ड में खड़िया खनन, अधिनियम व खनन शर्तें :

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–। की प्रविष्टि 54 के अनुसार केन्द्र सरकार खनिज विकास तथा खानों के विनियम हेतु उस सीमा तक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती हैं, जहाँ जक ऐसे विनियम और विकास को संसद द्वारा कानून बनाकर लोकहित में उचित घोषित किया गया हैं। दूसरी ओर राज्य सरकारों को खानों के विनियम तथा खनिज विकास हेतु सूची–।। की प्रविष्टि 23 के तहत शक्तियां दी गयी है जो संध के नियमाधीन विनियमन और विकास के संबंध में सूची–1 के प्राविधानों के अधीन हैं। केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन खानों के विनियमन खानों के विकास हेतु प्राविधान करने के लिए संसद ने सूची–1 की प्रविष्टि 54 के तहत खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 (एम.एम.डी.आर. एक्ट 1957) अधिनियमित किया है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के खनन के अलावा अन्य सभी खनिजों के उपयोग के लिए 1957 का अधिनियम ही कानूनी आधार है। महानिदेशक खनन सुरक्षा (डी.जी.एम.एस.) खनन अधिनियम को लागू करने के लिए उत्तरदायी होता है।

खान और खनिज (विकास व विनियम) एम.एम.डी.आर. के तहत जो अधिनियम प्रचलित है उनको खनिज रियायत नियमावली 1960 (एम.सी.आर.) तथा खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 (एम.सी.डी.आर.) के नाम से जाना जाता है। खनिज रियायत नियमावली 1960 में ही खनन हेतु टोही परमिट (रिक्नोसेन्स परमिट) पूर्वेक्षण लाईसेन्स (प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स/पी.एल.) तथा खनन पट्टों (माइनिंग लीज/एम.एल.) को प्राप्त करने की प्रक्रिया व शर्तो का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जबकि खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 (एम.सी.डी.आर.) में वैज्ञानिक तरीके से खनन करने और पर्यावरण को संरक्षित करने के दिशा निर्देश अंकित है। उपखनिज राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है। राज्य सरकारों ने इसके लिए उपखनिज रियायत नियम बनाये है।

सन् 1957 का खनन एक्ट टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाईसेन्स व खनन पट्टों की फीस, रायल्टी तथा डैड रेन्ट का निर्धारण करता है। खनिज रियायतों के आवेदन पत्रों पर निर्णय संप्रेषित करने के लिए टोही परमिट हेतु 6 माह, पूर्वेक्षण लाईसेन्स हेतु 9 माह तथा खनन पट्टों के लिए 12 माह की समय सीमा निर्धारित की गयी है। भारतीय खान ब्यूरो तथा राज्य सरकारों को उन्हें अनुमोदन हेतु प्रस्तुत खनन योजनाओं पर निर्णय संप्रेषित करने के लिए 90 दिन की समयावधि निर्धारित की गयी है।

खनन पट्टों का न्यूनतम आकार के संबंध में खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा परिहार नियमावली 1960 एवं खनिज संरक्षण एवं विकास नियम 1988 को संशोधित कर अब कोई भी खनन पट्टा आवेदन किसी भी खनिज के लिए कम से कम एक हैक्टेयर क्षेत्र से कम क्षेत्रफल के लिए स्वीकृत नहीं किया जायेगा। जैसे कि छोटे–2 भण्डारों के संबंध में एक हैक्टेयर, तटीय बालू या प्लेसर्स के लिए दो हैक्टेयर और अन्य सभी खनिज भण्डारों के लिए 4 हैक्टेयर निर्धारित किया गया है। राज्य सरकारों को खुली खानों (ओपन कास्ट) के मामलों में 29 गैर धात्विक/औद्योगिक खनिजों के संबंध में खनन योजनायें अनुमोदित करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी है। प्रत्येक दशा में खनन की लीज 20 वर्ष के लिए होगी और अगले 20 वर्ष के लिए उसका नवीनीकरण किया जा सकता है।

2.3 उत्तराखण्ड राज्य में खड़िया खनन नीति :

उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न प्रकार के खनिजों का दोहन आधुनिक तथा वैज्ञानिक विधि द्वारा सुनिश्चित करने, पर्यावरण का संरक्षण एवं खनिज क्षेत्रों की पुर्नस्थापना करने, खनिज भण्डारों का आधुनिक तकनीक द्वारा विस्तृत अन्वेषण का कार्य करने तथा खनिज के दोहन एवं चुगान के कार्यों में माफियाओं के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए शासन द्वारा उत्तराखण्ड खनिज नीति 2001 प्रख्यापित की गयी है। अतः उत्तराखण्ड राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में वांछित आवश्यकताओं की पूर्ति एवं मानव संसाधनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्य खनिजों के संबंध में निम्न लिखित निर्णयों को चरणबद्ध व समयबद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया है।

❖ शासन द्वारा सचिव, औद्योगिक की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया जायेगा। कार्यकारी दल द्वारा मुख्य खनिज के खनन में अपनायी जा रही तकनीक, उनका पर्यावरण पर प्रभाव तथा खनन से संबंधित प्रचलित कार्य प्रणाली को व्यवहारिक बनाने के संबंध में उपाय एवं सुझाव तैयार करायेगें। कार्यकारी दल के गठन का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार को मुख्य खनिजों के खनन संबंधित खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1957 के संबंध में सुझाव देने का भी होगा।

❖ मुख्य खनिजों के खनन हेतु निजी क्षेत्र के ऐसे उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जायेगा, जिनके पास यह कार्य करने हेतु पर्याप्त पूंजी एवं आधुनिक तकनीक उपलब्ध हो।

❖ खनिज युक्त क्षेत्रों में अवस्थापना की सुविधा उपलब्ध कराते हुए राज्य सरकार द्वारा खनिज स्टेट स्थापित किये जायेगें।

❖ खनिज विकास एवं अन्वेषण कार्यों के लिए खनिज विकास निधि की स्थापना की जायेगी। मुख्य खनिजों के खनन से प्राप्त रायल्टी का 5.0 प्रतिशत इस निधि में जमा किया जायेगा।

❖ खनिज के परिहार, खनिज पर आधारित उद्योग तथा खनिज संबंधी अन्वेषण कार्य को सुगम बनाने हेतु खनिज निदेशालय में एकल मेज व्यवस्था (सिंगल विन्डो सिस्टम) की स्थापना की जायेगी।

❖ निम्न श्रेणी, सीमान्त श्रेणी, खनन मलवा एवं खनिज आधारित उद्योगों के सह उत्पादों को उपयोग में लाने का यथा संभव प्रयास किया जायेगा।

जहाँ उत्तराखण्ड सरकार ने मुख्य खनिजों के लिए 2001 में खनन नीति की घोषणा की है वहीं दूसरी ओर उत्तराखण्ड राज्य की खनिज सम्पदा के अन्तर्गत मुख्य खनिज खड़िया (सोप स्टोन) के प्रोस्पेक्टिंग लाईसेन्स एवं खनन पट्टों को स्वीकृत किये जाने के संबंध में अलग से शासनादेश निर्गत किये है जिनका कड़ाई से पालन करना होगा। ये शासनादेश निम्नलिखित है।

1. निजी नाप भूमि में सोप स्टोन के प्रोस्पेक्टिंग/खनन पट्टों की स्वीकृति में निजी नाप भूमि धारकों को वरीयता दी जाय।

2. सोप स्टोन खनन के प्रोस्पेक्टिंग लाईसेन्स/खनन पट्टों के क्षेत्रफल को भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 10 अप्रैल 2003 में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित किया जाय अर्थात् खनन पट्टों हेतु क्षेत्रफल की न्यूनतम सीमा 1 हैक्टेयर/50 नाली हो।

3. खनन पट्टा धारकों को उनके द्वारा राज्य सरकार को दी जाने वाली रायल्टी का 10 प्रतिशत के बराबर की राशि का उपयोग, उनके धारित खनन पट्टा क्षेत्र के विकास एवं उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के जनहित में किया जाय।

4. खनन एवं खनन प्रक्रिया से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का ज्ञान रखने वाले उद्यमियों या इस प्रकार के आवेदकों को प्रोस्पेक्टिंग लाईसेन्स/खनन पट्टा क्षेत्र आवंटन करने में प्राथमिकता दी जाय।

5. भारत सरकार की अधिसूचना 10 अप्रैल 2003 से पूर्व के प्रोस्पेक्टिंग लाईसेन्स/खनन पट्टों के आवेदन पत्रों पर निर्णय भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले दिशा निर्देशों के उपरान्त ही निस्तारित किये जायेगें।

6. ऐसे क्षेत्र जो अधिसूचना 1893 से प्रभावित है अर्थात् छोटे–2 क्षेत्रों में बंट जाते है उनको नाप एवं बेनाप श्रेणी में पृथक–पृथक कर प्रोस्पेक्टिंग लाईसेन्स/खनन पट्टों हेतु संस्तुत की जाने वाली प्रक्रिया को समाप्त कर उस क्षेत्र को एक सहत खण्ड बनाकर इस शर्त के अधीन प्रस्तावित किया जाय कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गैर

वानकीय कार्य हेतु भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से आवेदक स्वीकृति प्राप्त करें।

7. बेनाप/वन भूमि पर प्रोस्पेक्टिंग लाईसेन्स/खनन पट्टों हेतु ऐसे उद्यमियों को वरीयता दी जाय जो मुख्य खनिज सोप स्टोन पर आधारित उद्योग लगाने की इच्छा एवं अनुभव रखते हो, साथ ही साथ ऐसे प्रस्तावों पर यह शर्त भी लगाई जाय कि उक्त क्षेत्र में गैर वानकीय कार्य हेतु भारत सरकार के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्ति की जाय।

8. खान अधिनियम, 1952 एवं मैटेलीफरेस माइन्स रेगुलेशन, 1961 के अन्तर्गत खानों की सुरक्षा का दायित्व माइन्स मैनेजर के द्वारा कराया जाय, साथ ही साथ भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग के वरिष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक के संरक्षण में खानों की सुरक्षा एवं खनन पट्टों का सम्प्रेषण किया जाय।

9. खनिज के खनन के उपरान्त खनन पिट्टों (गड्डे) को लाइसेन्स धारक/पट्टा धारक से भरवाकर समतल कराया जाय।

10. पल्पलाइजर और खनिज भण्डार कर्ताओं को खान एवं खनिज विकास विनियम अधिनियम की धारा–23 सी के अन्तर्गत लाते हुए उनके द्वारा खनिज के श्रेणीवार विक्रय मूल्य पर 4 प्रतिशत धनराशि खनन विकास हेतु निर्धारित की जाय।

2.4 खड़िया खनन का लेख–प्रमाण (खनन डीड) :

जैसा कि पूर्व में कहा गया है किसी भी क्षेत्र में खनन करने के लिए सर्वप्रथम खनन के लिए पूर्वेक्षण लाईसेन्स (पी.एल.) लिया जाता है। पूर्वेक्षण लाईसेन्स नये क्षेत्र में खनन हेतु लिया जाता है। यह खनिजों के प्रारम्भिक जांच के लिए होता है। इस दौरान उत्पादित होने वाले खनिज को लाइसेन्सधारी बेच नहीं सकता है वरन खनिज उत्पाद मिलने पर लाइसेन्सधारी खनन पट्टे (एम.एल.)के लिए आवेदन करता है। खनन लीज/ पूर्वेक्षण लाइसेन्स के लिए आवेदक को सर्वप्रथम खनन प्लान बनाना होता है उसमें गाँव के कृषकों द्वारा एन.ओ.सी. वन विभाग व राजस्व विभाग का प्रमाणपत्र आदि के साथ साथ खनन क्षेत्र का नक्शा, उसमें उपलब्ध पेड़ पौधे, उसके चारों ओर की स्थिति, सार्वजनिक सम्पत्ति आदि का विवरण आवेदन कर्ता द्वारा जिले में स्थित खनन कार्यालय में 4 प्रतियों में प्रेषित करने

होते हैं। खनन कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र की प्रति को राज्य के खनिज एवं भू–कर्म निदेशालय, इण्डियन ब्यूरो ऑफ माइन (आई.डी.एम.) के क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाता है। इन विभागों के द्वारा आवेदन पत्रों की जांच की जाती है और संतुष्टि मिलने पर खनन लीज की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजा जाता है और सरकार 20 वर्ष हेतु आवेदक को खनन पट्टे का लिखित दस्तावेज (लीज डीड) देती है, जिसमें निम्न लिखित शर्तें निहित होती है।

(अ) **खनन लीजधारी की शक्तियां :**

❖ लीज/पट्टे की भूमि में खनिजों की खोज, गहरा छिद्र (बोर), खनन सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना तथा खनन क्षेत्र में काम करने की शक्ति होगी।
❖ लीज धारी जल, रेलवे व वायु मार्गों का उपयोग कर सकता है।
❖ खनन के लिए मशीनों व औजारों को ला सकता है और उनका उपयोग कर सकता है।
❖ खनन क्षेत्र में सड़कें व रास्ते बनाना व मौजूदा रास्तों का उपयोग करना।
❖ भवन एवं सड़क निर्माण सामग्री प्राप्त करना।
❖ पेय जल स्रोतों या झरनों का उपयोग करना।
❖ लीज भूमि में उत्पादों के ढेर लगाना या जमा करने में उपयोग।
❖ उत्पाद को अधिक लाभकारी/गुणवत्ता युक्त बनाना।
❖ लीज क्षेत्र की झाड़ियों व पौधों को काटना व उसका उपयोग करना आदि।

(ब) खनन लीजधारी पर प्रतिबंध :

जहाँ खनन लीज/पट्टेधारी को खनन में शक्तियाँ प्रदान की गयी है। वहीं कुछ प्रतिबन्धित शर्तें भी लगाई गयी है। मुख्य शर्तें निम्नलिखत है।

❖ सार्वजनिक सम्पत्ति जैसे खेल का मैदान, कब्रगाह सार्वजनिक सड़क पर_भवन न बनाने के साथ–साथ खनन लीजधारी कुओं व तालाबों में कब्जा नहीं करेगा।

❖ सतही भूमि जो वर्तमान में उपयोग में नहीं है उसके उपयोग हेतु जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

❖ असंरक्षित भूमि में पेड़ काटने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी और अनुमति मिलने पर प्राप्त लकड़ी अथवा इमारती लकड़ी की कीमत देनी होगी।

❖ संरक्षित वन क्षेत्र में प्रवेश हेतु अथवा पेड़ काटने के लिए जिला वन अधिकारी (डी. एफ.ओ.) से पूर्वानुमति लेनी होगी।

❖ सार्वजनिक कार्यों जैसे रेलवे लाइन, रोप वे ठहराव, तालाब, नहर, सड़क, सरकारी भवन आबादी के पास से 50 मीटर की दूरी तक खनन कार्य नहीं करना होगा। इसके लिए राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी/जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। ग्रामीण सड़क जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, को 10 मीटर की दूरी पर खनन कार्य नहीं होगा इसके लिए भी सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक है।

❖ पट्टेधारी को डैड रैन्ट या रायल्टी जो भी अधिक हो उसका भुगतान करना होगा। वार्षिक डैड रैन्ट या रायल्टी भुगतान राज्य सरकार को करना होगा जो खनिज खनन विकास अधिनियम (एम.एम.आर.डी.) 1957 के तहत निर्धारित होगा। रायल्टी की गणना करने के लिए पट्टाधारी को कितना खनिज उत्पादित हुआ, कितना बेचा गया तथा कितना निर्यात हुआ आदि का ब्यौरा रखना होगा। स्टाक का निरीक्षण केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा। समय पर रायल्टी जमा न करने पर 24 प्रतिशत ब्याज के साथ अगले वर्ष उसका भुगतान करना होगा।

❖ किसी दुर्धटना से मौत व शारीरिक रुप से किसी व्यक्ति के घायल होने या परिसम्पत्तियों के नुकसान की सूचना जिलाधिकारी को देनी होगी।

❖ लीजधारी को नक्शे में दर्शायी गयी सीमाओं को सही तरीके से रखना होगा।

❖ खनन कार्य में किस प्रकार के व कितने लोग लगे है उनके वेतन व योग्यता का रिकार्ड रखना होगा तथा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा।

❖ पट्टाधारी को खनन हेतु कितने गड्डे खोदे गये और कितनी बाधायें आयी इसकी सूचना भारतीय खनन ब्यूरो (आई.बी.एम.) को देनी होगी।

❖ पर्यावरण सुरक्षा के लिए पट्टाधारी को पौधारोपण, जमीन को कृषि योग्य बनाना और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय अपने खर्चे से करने होगें।

❖ लीजधारी भूमि मालिकों को दिये गये नियमों के अनुसार मुआवजे का भुगतान करेगा।

❖ लीजधारी अनुसूचित जनजाति के लोगों को तथा जो लोग खनन के कारण विस्थापित हुए है उनको रोजगार में वरीयता देगा।

❖ लीजधारी भारत सरकार द्वारा समय समय पर खान व खनिज (विकास व अधिनियम) 1957 के नियमों में होने वाले परिवर्तनों को मानने के लिए बाध्य होगा।

❖ लीजधारी को वजन मापने की मशीन रखनी होगी और उत्पादन मापन की सूचना जिलाधिकारी को देनी होगी।

❖ लीजधारी सभी भौगोलिक आंकड़े जैसे खनन क्षेत्र, भू–गर्भ जल सर्वेक्षण नक्शे, कार्य योजना ढांचा, समुद्र तल, भू तल, पर्वत आदि को नक्शे में दर्शाते हुए महानिदेशक भारतीय भू सर्वेक्षण कलकत्ता को भेजना होगा।

अध्याय – 3
उत्तराखण्ड में खड़िया खनन का प्रभाव

सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपयोग में लाये जाने वाला खनिज, ""खड़िया"" बागेश्वर जनपद में मैग्नेसाइट के बाद दूसरा मुख्य खनिज है जिसका उपयोग साबुन, दवा, सौन्दर्य प्रसाधन, दन्त मंजन, रंग/पैन्ट, प्लास्टिक, टायर तथा कागज उद्योग में होता है। विभिन्न उद्योगों में खड़िया के उपयोग के साथ–साथ ठोस खड़िया से मूर्तियां, खिलौने, कलमदान, ताज मॉडल, स्ट्रे, सिन्दूर दान एवं पान सुपारी दान बनाने में भी इसका उपयोग सदियों से होता आया है। इतने महत्वपूर्ण खनिज के भण्डार होने पर भी क्या उत्तराखण्ड के सामान्यजन इसका लाभ ले पा रहे है ? क्या खनन होने से उनके आय व रोजगार स्तर में वृद्धि हुई है ? क्या खनन क्षेत्र में खनन शर्तों का पालन हो रहा है ? के साथ खड़िया खनन से हो रहे सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों का विवरण इस भाग में प्रस्तुत किया जा रहा है।

3.1 खनन क्षेत्र के उत्तरदाताओं की विशेषता :

तालिका संख्या 3.1 में स्वयं के खेतों में खनन करने वाले तथा खनन से प्रभावित उत्तरदाताओं की विशेषता को दर्शाया गया है। हमारे चयनित 40.0 प्रतिशत उत्तरदाता 35–45 वर्ष आयु वर्ग के है जबकि लगभग 23.0 प्रतिशत उत्तरदाता 18–35 वर्ष के युवा है। हमारे चयनित प्रतिदर्श में मात्र एक उत्तरदाता अशिक्षित है जबकि लगभग 63.0 प्रतिशत उत्तरदाता हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त किये है। चयनित परिवारों का औसत आधार 6.7 व्यक्ति प्रति परिवार पाया गया है। हमारे अध्ययन में यह भी पाया गया है कि स्वयं के खेतों में खनन करने वाले परिवारों ने बाफिला गांव में औसतन 0.45 एकड़ भूमि में तथा झड़कोट के परिवारों ने 0.20 एकड़ भूमि में खड़िया खनन कर लिया है। जबकि खनन से प्रभावित परिवारों के बाफिला गांव व झड़कोट के क्रमशः औसतन 0. 40 एकड़ व 0.38 एकड़ नाप भूमि में खनन हो चुका है।

तालिका संख्या 3.1 स्वंय के खेतों में खनन करने वाले तथा खनन से प्रभावित उत्तरदाताओं की विशेषता

विशेषताएं	स्वयं के खेत में खनन करने वाले उत्तरदाता		खनन से प्रभावित उत्तरदाता	
	बाफिला गांव	झड़कोट	बाफि लागांव	झड़कोट
1. प्रतिदर्श आकार	5	5	10	10
2. उत्तरदाताओं का आयु वर्ग				
(i) 18–35 वर्ष	3(60)	1(20)	1(10)	2(20)
(ii) 35–45 वर्ष	2(40)	1(20)	4(40)	5(50)
(iii) 45–60 वर्ष	0	1(20)	4(40)	3(30)
(iV) 60 वर्ष और अधिक	0	2(40)	1(10)	0
3. उत्तरदाताओं का शैक्षिक स्तर				
(i) निरक्षर	0	1(20)	0	0
(ii) प्राथमिक	1(20)	0	1(10)	1(10)
(iii) उच्च प्राथमिक	0	1(20)	3(30)	0
(iV) हाईस्कूल/इण्टर	3(60)	3(60)	6(60)	7(70)
(अ) स्नातक/परास्नातक	1(20)	0	0	2(20)
4. परिवार का औसत आकार	7.0	6.6	6.6	5.8
5. औसत भूमि जोत आकार				
(i) खनन से पूर्व	2.40	1.05	2.40	0.85
(ii) खनन के बाद	1.95	0.85	2.00	0.47
(iii) औसत भूमि जिसमें खनन किया गया	0.45	0.20	0.40	0.38
6. औसत सिंचिंत भूमि				
(i) खनन से पूर्व	1.08	0.4	1.60	0.47
(ii) खनन के बाद	0.9	0.34	1.60	0.47
(iii) खनन में गयी औसत सिंचित भूमि	0.18	0.06	0	0

स्रोतः 1. प्राथमिक सर्वेक्षण। 2. कोष्ठक में दिये अंक प्रतिशत को दर्शाते है।

यह भी विचारणीय है कि सिर्फ स्वयं के खेतों में ही खनन करने वाले उत्तरदाताओं की सिंचित भूमि खनन में उपयोग में लायी गयी है जबकि खनन से प्रभावित लोगों ने अपनी सिंचित भूमि को खनन हेतु लीजधारी को नहीं दिया है। (विस्तार हेतु तालिका संख्या 3.1 देखें)

3.2 खनन लीज पट्टों के संबंध उत्तरदाताओं की जानकारी :

जहाँ एक ओर कलकत्ता निवासी खनन लीजधारी मैसर्स एन.एस. कार्पोरेशन ने झड़कोट में आज से लगभग 26 वर्ष पहले खनन पट्टा हासिल किया था वहीं दूसरी ओर कानपुर निवासी ने कटियार माईनिंग एण्ड इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के नाम से लगभग 24 वर्ष पूर्व बाफिला गांव में खनन पट्टा लिया था। इन खनन लीजधारियों ने क्रमशः 63.75 एकड़ एवं 348.43 एकड़ भूमि का लीज पट्टा लिया है। इन लोगों के बारे में ज्ञात हुआ कि जहाँ एन.एस. कारपोरेशन ने एक भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री के माध्यम से लीजपट्टा प्राप्त किया वहीं कानपुर निवासी लीजधारी भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) में कर्मचारी होने के नाते लीज पट्टा प्राप्त कर सका है। जहाँ इन दो गावों में पहले से खनन कार्य जारी था वहीं बाफिला गांव के स्थानीय निवासी को बाफिला गांव के ठाड़ाईजर/रैखौला गांव में सन् 2021 तक मान्य लीजपटटा दिया गया है जिसका कुल क्षेत्रफल 3.66 एकड़ है। इसी प्रकार झड़कोट में भी ग्राम झड़कोट (छांतीखेत) निवासी को 2.98 एकड़ की लीज प्रदान की गयी है।

यद्यपि 1996 से पूर्व खनन लीजधारी गांवों की सिविल व पंचायती भूमि में खनन करते थे उस समय खनन लीज हेतु एन.ओ.सी. लेने के लिए सरकारी मशीनरी या मात्र प्रधान से मिली भगत की जाती थी इस संबंध में राधा भट्ट (1983) ने भी लिखा है कि किसी गांव की गौचर भूमि में खनन की स्वीकृति का सतही तरीका अपनाया जाता था मात्र ग्राम प्रधान से एन.ओ.सी. लेना। जबकि महिलायें पहाड़ की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक है उनसे कौन पूछता है कि आपके चरागाह में, आपके वन में या कृषि भूमि के सिरहाने पर हम खानों का जाल खोदने वाले है। खनन से सरकार को रायल्टी मिलेगी और स्त्रियों को अपार कष्ट तथा धन मिलेगा मुट्ठी भर लोगों को।

यद्यपि सन् 1996 के माननीय सुप्रीमकोर्ट के निर्णय के कारण संरक्षित वनों में किये जा रहे खनन जैसे सरयू घाटी क्षेत्र के चौड़ा स्थल, बसकूना व लीती गांवों में लगभग 178.0 हैक्टेयर भूमि में खनन कार्य प्रतिबन्धित हो गया लेकिन उसके बाद सन् 1893 में जो भूमि नाप भूमि के अन्तर्गत आती थी उसमें खनन पट्टे देना जारी है। खनन लीज हेतु एन.ओ.सी. लेने में क्या तरीका अपनाया गया, उसका विवरण यहाँ दर्शाया गया है। हमारे

अध्ययन के 7 स्वयं के खेत में खनन करने वाले उत्तरदाता खनन लीज से पूर्व लीजधारी द्वारा एन.ओ.सी. लेने की बात को स्वीकारते है जबकि खनन प्रभावित उत्तरदाताओं में से मात्र 25 प्रतिशत उत्तरदाता ही लीजधारी द्वारा एन.ओ.सी. लेने की बात को स्वीकारते है। कुल मिलाकर हमारे अध्ययन के दोनों गांवों के कुल 60.0 प्रतिशत उत्तरदाता खनन से पूर्व एन.ओ.सी. नहीं लेने की बात को स्वीकारते है। खनन हेतु लीजधारी द्वारा सहमति न लेने के कारणों को जानने से अवगत हुआ कि चूंकि दोनों गांवों में खनन लीजें पुरानी हो चुकी है इसलिए हमारे 10 उत्तरदाता (55.6 प्रतिशत) पूर्वजों से सहमति लेने की सम्भावना जताते है जबकि 4 उत्तरदाता गांव वालों से तथा एक उत्तरदाता कम उम्र का होने व एक उत्तरदाता एन.ओ.सी. के संबंध में कोई ज्ञान नहीं होने की बातें करते हैं। हमने उत्तरदाताओं से यह भी जानने का प्रयास किया कि वे अपनी कितनी नाप भूमि में खनन कर रहे है ? या खनन क्षेत्र में उनकी कितनी नाप भूमि आती है ? उत्तरदाताओं से ज्ञात हुआ कि जहाँ स्वयं के खेतों में खनन करने वाले बाफिला गांव के 2 और झड़कोट के 4 उत्तरदाता आधे एकड़ से कम नाप भूमि में खनन कर रहे है वहीं दूसरी ओर बाफिला गांव के 6 व झड़कोट के 2 प्रतिशत खनन प्रभावित उत्तरदाता 0.5 एकड़ से 1.0 एकड़ तक की नाप भूमि खनन क्षेत्र में आने की बात स्वीकारते हैं। जहाँ तक लीजधारी द्वारा खनन करने का प्रश्न है तो हमारे झड़कोट गांव के स्वयं के खेत में खनन करने वाले 1 उत्तरदाता तथा खनन से प्रभावित बाफिला गांव के 3 उत्तरदाताओं के नाप भूमि में लीजधारी द्वारा खनन किये जाने की बात स्वीकारी है। जिन उत्तरदाताओं के नाप भूमि में लीजधारी द्वारा खनन का कार्य किया जा रहा है उन सभी को लीजधारी द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है। मुआवजे की गणना के लिए प्रतिदिन जितनी बोरी खड़िया निकाली जायेगी उसका प्रतिबोरी 10 रुपया जमीन वाले को मुआवजा दिया जा रहा है। जहाँ तक लीजधारी द्वारा डरा धमकाकर खनन लीज हेतु एन.ओ.सी. लेने का प्रश्न है ग्राम झड़कोट के खनन प्रभावित 50. 0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अवगत कराया कि लीजधारी ने क्षेत्र के गुण्डों को प्रोत्साहित कर गांव में हवाई गोलियां चलायी थी जिसने भी विरोध करने का प्रयास किया गया उनको मारा पीटा गया और उनसे गाली गलौच की गयी। सभी गुण्डे गांव में काले कपड़े पहनकर कमाण्डो की तरह आते थे इन्हीं के भय से खड़िया खनन विरोध के स्वर दब गये।

हमने उत्तरदाताओं से लीजधारी द्वारा अवैध खनन करने के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। जहाँ एक ओर स्वयं के खेतों में खनन करने वाले अवैध खनन के संबंध में अपने स्वार्थी के कारण जवाब देने में असमर्थ रहे वहीं दूसरी ओर बाफिला गांव के 40.0 प्रतिशत व झड़कोट के 60.0 प्रतिशत उत्तरदाता पंचायती/सिविल भूमि में अवैध खनन की बात को स्वीकारते है। सिविल वनों में उगे चीड़, बॉज आदि के पेड़ों को खनन हेतु काटा जा रहा है। न केवल गांव की सिविल वनों में अवैध खनन किया जा रहा है वरन् जिला परिषद के द्वारा बनाया गया पचासों वर्ष पुराना पैदल मार्ग को खनन में शामिल कर लिया गया है और प्राकृतिक रुप से नदियों की ढाल को रोकने वाले पत्थरों को विस्फोटकों के माध्यम से उड़ाया जा रहा है। (तालिका संख्या 3.2 देखें)

तालिका संख्या 3.2 : खनन लीज लेने के सम्बन्ध में जानकारी

जानकारियां	स्वयं के खेत में खनन करने वाले उत्तरदाता		खनन से प्रभावित उत्तरदाता	
	बाफिला गांव	झड़कोट	बाफिला गांव	झड़कोट
1.लीजधारी ने एन.ओ.सी. लेते समय आपकी सहमति ली				
हाँ	4 (80.0)	3 (60.0)	4 (40.0)	1 (10.0)
नहीं	1 (20.0)	2 (40.0)	6 (60.0)	9 (90.0)
2. सहमति न लेने का कारण				
(i) पूर्वजों से सहमति लेने की सम्भावना	--	2 (100.00)	3 (30.0)	5 (50.0)
(ii) गांव वालों से सहमति	--	--	2 (20.0)	2 (20.0)
(iii) हम तब कम उम्र के थे	--	--	1 (10.0)	--
(iv) मालूम नहीं	1 (100.00)	--	--	2 (20.0)
3. आप अपनी कितनी जमीन में खनन कर रहें हैं। खनन क्षेत्र में कितनी जमीन आती है।				
(i) 0.5 एकड़ से कम	2(40.0)	4(80.0)	6(60.0)	2(20.0)
(ii) 0.5 एकड़ से 1.0 एकड़	3(60.0)	1(20.0)	--	--
4. लीजधारी द्वारा आपके खेतों में खनन किया है	--	2(20.0)	4(40.0)	2(20.0)
5. खनन करने पर मुआवजा (रू0 10 प्रति बोरा खनिज उत्पाद पर)	--	2(40.0)	4(40.0)	2(20.0)
6. क्या लीजधारी ने गांव से डरा धमका कर एन.ओ.सी. ली ?	--	--	--	5(50.0)
7. क्या खनन लीजधारी पंचायती व सिविल भूमि में खनन कर रहें हैं?	--	--	4(40.0)	6(60.0)

स्रोत : 1. प्राथमिक सर्वेक्षण। 2. कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत को दर्शाते हैं।

3.3 खड़िया खनन से आय व रोजगार :

तालिका संख्या 3.3 में पिछले तीन वर्षों में बागेश्वर जनपद से खड़िया खनन से राज्य सरकार को होने वाली आय को दर्शाया गया है। तालिका से ज्ञात होता है कि पिछले तीन वर्षों में जिले में कुल लगभग 59.5 लाख मैट्रिक टन खड़िया का उत्पादन हुआ और राज्य सरकार को कुल लगभग 5.2 करोड़ की आय हुई जिसमें आवेदन शुल्क, प्रतिभूति आदि सम्मिलित है। सरकारी आंकड़े यह भी बताते है कि खनन क्षेत्र में अवैध खनन निरन्तर चलते रहता है। वर्षवार अवैध खनन करने पर अर्थडण्ड लगाने से इसकी पुष्टि होती है। यदि हम पिछले तीन वर्ष के अर्थडण्ड को देखें तो प्रतिवर्ष औसतन लगभग 72.0 हजार रुपया अर्थडण्ड वसूला गया है। (तालिका संख्या 3.3 को देखें)

तालिका संख्या 3.3 : जनपद बागेश्वर में खड़िया उत्पादन व सरकार को आय

वर्ष	उत्पादन मैट्रिक टन)	खनन से राजस्व प्राप्ति (रू0 में)	अवैध खनन पर अर्थदण्ड (रू0 में)
2004–05	185076.11	11622904	60000
2005–06	207886.00	18167408	96292
2006–07	201762.12	22261494	60883
कुल	594724.23	52051806	217175
प्रतिवर्ष औसत	198241.0	17350602	72392

स्रोत : लोक स्वातन्त्र्य संगठन द्वारा सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी सूचना के आधार पर प्रभारी अधिकारी (खनन) कृते जिलाधिकारी द्वारा दी गयी सूचना पर आधारित।

हमने स्वयं के खेतों में खड़िया खनन करने वाले उत्तरदाताओं से भी खनन से होने वाली आय व रोजगार को परखने का प्रयास किया। यद्यपि प्रत्येक उत्तरदाता स्वयं पर खनन से लगने वाले कर के भय के कारण स्पष्ट उत्तर देने में सकुचाते रहे लेकिन काफी प्रयास से उनसे उत्तर प्राप्त किये गये। स्वयं के खेतों में खनन करने वाले बाफिला गांव का प्रत्येक उत्तरदाता ने औसतन 257 मैट्रिक टन तथा झड़कोट गांव के उत्तरदाताओं ने औसतन लगभग 235 मैट्रिक टन खड़िया का उत्पादन किया। खड़िया खनन से प्रति खननकर्ता को बाफिला गांव में लगभग 91 हजार तथा झड़कोट में लगभग 56 हजार रुपया वार्षिक शुद्ध आय हो रही है। अध्ययन में हमने यह भी पाया कि रोजगार की दृष्टि से स्वयं के खेतों में खनन करने वाले खननकर्ता भी स्थानीय मजदूरों को खनन में रोजगार देते हुए नहीं पाये गये। स्थानीय मजदूर के नाम पर मात्र अपने खेतों में खनन करने वाले

स्वयं ही संलग्न पाये गये जबकि बाफिला गांव के स्वयं के खेतों में खनन करने वाले प्रति खननकर्ता ने औसतन लगभग 9 नेपाली व औसतन लगभग 1.5 अन्य क्षेत्र के मजदूरों से खनन कार्य करवाया है जबकि झड़कोट के खनन कर्ता ने स्वयं के अलावा औसतन 7.2 नेपाली मजदूर खनन में लगाये हैं। खड़िया खनन का कार्य वर्ष में औसतन 8 माह तक किया जाता है। बरसात के मौसम में खनन कार्य बन्द रहता है।

तालिका संख्या 3.4 : स्वयं के खेतों में खड़िया खनन करने वाले उत्तरदाताओं की आय रोजगार

खड़िया उत्पादन/रोजगार	बाफिला गांव	झड़कोट
कुल खड़िया उत्पादन (मै.टन)	1260	1177
खड़िया उत्पाद मूल्य	1512000	1412400
खनन मजदूरी	804800	864960
अन्य व्यय	251200	266000
शुद्ध आय	456000	281440
प्रति खननकर्त्ता औसतन वार्षिक शुद्ध आय	91200	56288
रोजगार		
स्वयं	5	5
नेपाली	43	36
अन्य	7	---
वर्ष में खनन की औसत अवधि (माह)	8	8

तालिका संख्या 3.5 में विगत वर्ष खनन लीजधारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति को दर्शाया गया है। तालिका से ज्ञात होता है कि जहां बाफिला गांव के पुराने लीजधारी द्वारा विगत वर्ष 76 लोगों को रोजगार प्राप्त कराया वहीं नये लीजधारी द्वारा मात्र 28 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया हैं। ठीक उसी प्रकार झड़कोट के पुराने लीजधारी द्वारा 172 व नये लीजधारी द्वारा मात्र 34 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। यह भी विचारणीय है कि जहाँ पुराने खनन लीजधारियों ने 16.0 से 20.0 प्रतिशत तक स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है वहीं नये लीजधारियों ने मात्र लगभग 4.0 प्रतिशत से 6.0 प्रतिशत तक स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। यदि हम समग्र रुप में देखें तो लगभग 17.0 प्रतिशत स्थानीय, 74.0 प्रतिशत नैपाली व 10.0 प्रतिशत अन्य क्षेत्रों के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। पुराने लीजधारियों के द्वारा स्थानीय लोगों को खनन के कार्यों में ही नहीं वरन इन लीजधारियों द्वारा विभिन्न गांवों में

शिक्षामित्र व वन पंचायतों के चौकीदार रखे है जबकि अन्य क्षेत्र के लोगों में कार्यालय का काम करने वाले व माइनिंग इन्जीनियरों को पूर्णकाल के लिए नियुक्त किया है। नये लीजधारी मात्र मजदूर को रखने के साथ–साथ दो–दो लोगों को आफिस का व मुन्शी का कार्य करने के लिए नियुक्त किये है। हमें अध्ययन के समय यह भी ज्ञात हुआ कि खनन कार्य में लगे मजदूरों की मजदूरी में भिन्नता होती है। जहाँ महिला व 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 70 से 80 रुपया दैनिक मजदूरी दी जाती है वहीं पुरुष को 90 से 110 रुपया दैनिक मजदूरी दी जाती है। हमें खनन कार्यालय व लोगों से ज्ञात हुआ कि खनन के कार्य में महिलाओं व बच्चों को नहीं लगाया जाता है लेकिन शायद ही कोई लीजधारी होगा जहाँ बच्चे व महिलाओं कार्य न कर रहीं हों। (तालिका संख्या 3.5)

तालिका संख्या 3.5: विगत वर्ष खनन लीजधारी द्वारा उपलब्ध कराये गये रोजगार का विवरण

विवरण	बाफिलागांव		झड़कोट	
	पुराना लीजधारी	नया लीजधारी	पुराना लीजधारी	नया लीजधारी
(1) मजदूर				
स्थानीय	15(19.7)	1(3.6)	32(18.6)	2(5.9)
नेपाली	54(71.1)	25(89.3)	120(69.8)	30(88.2)
अन्य क्षेत्र	7(9.2)	2(7.1)	20(11.6)	2(5.9)
कुल	76(100.0)	28(100.0)	172(100.0)	34(100.0)
(2) रोजगार दिवस				
स्थानीय	365	240	365	240
नेपाली	213	240	240	240
अन्य क्षेत्र	365	365	365	250
(3) दैनिक मजदूरी/मासिक				
वेतन स्थानीय (मासिक वेतन)	3000-4000	4000	3300-4000	3000
नेपाली (दैनिक मजदूरी)	90-120	70-110	110	100-110
अन्य क्षेत्र (मासिक वेतन)	4000-8000	4000-6000	4000-10000	5000

3.4 खड़िया खनन कार्य में स्थानीय लोगों को वरीयता न देने के कारण :

हमने अपने अध्ययन में खड़िया खनन कार्य में स्थानीय लोगों को मिल रहे रोजगार को परखने का प्रयास भी किया जिसको तालिका संख्या 3.6 में दर्शाया गया है। खनन से प्रभावित उत्तरदाताओं से पता चला कि कोई भी लीजधारी स्थानीय मजदूरों को खनन कार्य में लगाने में वरीयता नहीं देता है। हमारे 90.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अवगत

कराया कि सभी लीजधारी नैपाली मजदूरों को खनन कार्य में वरीयता देते है जबकि एक उत्तरदाता ने अवगत कराया कि तकनीकी जानकार अन्य क्षेत्र के मजदूरों/कर्मचारियों को ही वरीयता दी जाती है।

स्थानीय मजदूरों को वरीयता न देने के कारणों के संबंध में हमारे खनन प्रभावित उत्तरदाताओं ने अवगत कराया कि स्थानीय मजदूर न होने से लीजधारी नाप बेनाप व संरक्षित वन भूमि में आसानी से चोरी–छिपे खड़िया खनन कार्य कर सकते है क्योंकि स्थानीय मजदूर इसका विरोध कर सकता है। हमारे प्रतिदर्श के बाफिला गांव के 40.0 प्रतिशत व झड़कोट के 70.0 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात की पुष्टि करते है। बाफिला गांव के 30.0 प्रतिशत व झड़कोट के 20.0 प्रतिशत खनन प्रभावितों ने यह भी ज्ञात कराया कि खनन कार्य में बाहरी मजदूर के दुर्घटनाग्रस्त व मृत्यु होने पर लीजधारियों को कोई परेशानी नहीं होती है क्योंकि नेपाली मजदूरों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता है जबकि स्थानीय मजदूर की मृत्यु व दुर्घटना होने पर मोटी रकम अथवा मुआवजे की मांग की जाती है। यह भी सच है कि स्थानीय मजदूर मूलतः किसान है उनको मजदूरी के साथ–साथ खेती बाड़ी का कार्य में स्वयं करना पड़ता है जिस कारण स्थानीय मजदूर खनन मौसम में पूर्णकालिक मजदूर नहीं हो सकता है। हमारे लगभग 50.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसकी पुष्टि की है। हमारे अध्ययन के एक उत्तरदाता ने यह भी अवगत कराया कि नेपाली मजदूर अपने परिवार सहित खनन कार्य करने हेतु आते है उनके बच्चों व पत्नी को खनन में नौकरी मिल जाती है और वे खनन के पूरे मौसम में खनन कार्य में लगे रहते है।

हमारे खनन प्रभावित 30.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह भी अवगत कराया कि खनन कार्यों में लगे स्थानीय व अन्य मजदूरों की मजदूरी में भिन्नता पायी जाती है इस बात की पुष्टि लीजधारियों ने भी की है। जहाँ एक ओर स्थानीय मजदूर को 80 से 100 रुपया दैनिक मजदूरी दी जाती है वहीं नेपाली व अन्य क्षेत्र के मजदूरों को 100 से 120 रुपये तक मजदूरी दी जाती है। महिला व पुरुषों की मजदूरी दर में भी भिन्नता देखी गयी है। जहाँ पुरुषों की मजदूरी दर 80–120 रुपया तक है वहीं दूसरी ओर महिलाओं को 70 से 80 रुपया दैनिक मजदूरी दी जा रही है। हमारे खनन प्रभावित उत्तरदाता परिवारों के

मात्र 15.0 प्रतिशत लोग खनन में रोजगार पाये है जिससे प्रति व्यक्ति औसतन 19200 रुपया वार्षिक आय प्राप्त हो रही है। (तालिका संख्या 3.6)

तालिका संख्या–3.6 : खनन क्षेत्र में रोजगार व मजदूरी के सम्बन्ध में खनन प्रभावित उत्तरदाताओं के विचार

रोजगार व मजदूरी	बाफिला गांव	झड़कोट
1. लीजधारी खनन में कहां के मजदूरों को वरीयता देते हैं?		
स्थानीय	--	--
नेपाली	9(90.0)	10 (100.0)
अन्य क्षेत्र	1(10.0)	--
2. स्थानीय मजदूर की जगह अन्य मजदूर को वरीयता देने के कारण		
(i) नाप, बेनाप वनभूमि में चुपचाप खनन करने में सहायता	4 (40.0)	7 (70.0)
(ii) दुघर्टना व मृत्यु होने पर ज्यादा परेशानी का न होना	3 (30.0)	2 (20.0)
(iii) स्थानीय मजदूर पूर्णकालिक नहीं होता	4 (50.0)	1 (10.0)
(iv) नेपाली मजदूर का पूर्णकालिक व मेहनती होना	—	1 (10.0)
6. स्थानीय व अन्य मजदूरों की मजदूरी में भिन्नता		
हॉ	4 (40.0)	2 (20.0)
नहीं	6 (60.0)	8 (80.0)
4. यदि हॉ तो औसत दैनिक मजदूरी दरें		
(i) स्थानीय	80-100	80-100
(ii) नेपाली	110-120	100-110
(iii) अन्य	100	100
(iv) महिला	70-80	70-80
(v) बच्चों	60-70	60-70
5. खनन में आपके परिवार के सदस्य ने रोजगार पाया		
हॉ	3 (30.0)	-
नहीं	7 (70.0)	10 (100.0)
6. यदि हॉ तो		
(i) रोजगारत परिवार के सदस्य	3	--
(ii) वर्ष में रोजगार दिवास	240	--
(iii) वार्षिक औसत आय (रू0)	19200	--
(iv) लीजधारी द्वारा किये खनन से औसत आय	60000	37000

स्रोत : (1) प्राथमिक सर्वेक्षण।   (2) कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत को दर्शाते हैं।

3.5 खड़िया खनन से हो रही दुर्घटनायें/मृत्यु :

हमारे खनिज प्रभावित उत्तरदाताओं से यह भी जानने का प्रयास किया कि क्या खनन से मजदूरों की मृत्यु या दुर्घटनाये होती है ? हमारे 45.0 प्रतिशत उत्तरदाताओ ने मृत्यु व दुर्घटना होने की पुष्टि कीं। विगत वर्ष तक जहाँ चयनित गांवों में 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है वही दूसरी तरफ 33 मजदूर खनन कार्य में घायल हो चुके हैं। मृतकों के सम्बन्ध में 75.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि सभी मृतक मजदूर नेपाल के थे जहाँ साधरण रूप से धायल मजदूर का लीजधारियों द्वारा इलाज कराया जाता है वहीं दूसरी ओर गम्भीर रूप से धायल मजदूर को नेपाल भेज दिया जाता है। बाफिला गाँव में मृतकों को जहाँ 25 से 40 हजार तक मुआवजा दिया गया वहीं झड़कोट में 50000 से 180000 तक मुआवजा देने की बात बतायी गयी है। (तालिका संख्या 3.7)

तालिका सं0 3.7 खड़िया खनन कार्य में दुर्धटना/मृत्यु के सम्बन्ध में खनन प्रभावित उत्तरदाताओं के विचार

दुर्घटना/मृत्यु सम्बन्धी जानकारी	बाफिला गांव	झड़कोट
1. क्या खनन क्षेत्र में मजदूर की मृत्यु/दुर्घटना हुई		
(i) हॉ	4 (40.0)	5 (50.0)
(ii) नहीं	5 (50.0)	2 (20.0)
(iii) पता नहीं	1 (10.0)	3 (30.0)
2. यदि हॉ तो,		
(i) घायलों की औसत संख्या	25	8
(ii) मृतकों की संख्या	9	3
(iii) संख्या पता नहीं घायल होते रहते हैं (उत्तरदाता सं0)	3	1
3. साधारणतया घायल/मृतक कहां के थे ?		
(i) नेपाल	4	5
4. घायलों को मुआवजा देने का तरीका		
(i) लीजधारी ईलाज करवाते हैं	3	4
(ii) गम्भीर रूप से घायल को घर भेज देते हैं	1	1
5. मृतक को औसत मुआवजा	25000-40000	50000-180000

3.6 खड़िया खनन से स्वयं के खेतों पर खनन करने वालों पर प्रभाव :.

जो व्यक्ति स्वयं अपने खेतों में खनन कर रहे है उन पर खनन का क्या प्रभाव पड़ रहा है ? उसको तालिका संख्या 3.8 में दर्शाया गया है। स्वयं के खेतों में खनन करने से सबसे अधिक प्रभाव कृषि उत्पादकता पर पड़ता है। हमारे बाफिला गांव के 40.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अवगत कराया कि खड़िया खनन से उनके खेतों की उत्पादकता 10 से 25 प्रतिशत कम हुई है जबकि झड़कोट गांव के 20.0 प्रतिशत उत्तरदाता 15–25 प्रतिशत व 80 प्रतिशत उत्तरदाता 25 प्रतिशत से अधिक कृषि उत्पादकता कम होने की बात करते है। इसका यह कारण बताया गया कि जहाँ एक ओर खनन वाले खेत समतल न कर पाने के कारण उसमें फसल बोना असम्भव है वहीं दूसरी ओर स्वयं के खेतों में किये गये खनन के मलुवे के अन्य खेतों में जाने से फसल उगने में कठिनाई आती है।

जहाँ एक ओर खनन से कृषि उत्पादकता में कमी आयी है वहीं दूसरी ओर स्वयं के खेत के मेड़ों में उगने वाले घास व अनाज के सह उत्पाद (पुआल/भूसा) में कमी आना स्वाभाविक है। हमारे बाफिला गांव के 60.0 प्रतिशत उत्तरदाता 15 से 25 प्रतिशत तक पशु चारा कम होने की बात करते हैं। वहीं 20.0 प्रतिशत उत्तरदाता पशुचारे में 25.0 प्रतिशत से अधिक की कमी होने की बात करते है। बाफिला गांव की तरह झड़कोट गांव के 20.0 प्रतिशत उत्तरदाता 15–25 प्रतिशत व 80.0 प्रतिशत उत्तरदाता पशुचारे में 25 प्रतिशत से अधिक की कमी की बात को स्वीकारते हैं। कुल मिलाकर हमारे दोनों चयनित गांवों में 70.0 प्रतिशत उत्तरदाता पशुचारे में 25.0 प्रतिशत से अधिक कमी की बात को स्वीकारते हैं। झड़कोट गांव में न केवल स्वयं के खेतों में खनन करने से पशुचारा कम हुआ है वरन उनके पशुओं को चराने वाली जगह में खनन होने से पशु चराना/चुगाना भी बन्द हो गया है।

पशुचारे की कमी होने पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है क्योंकि पशुपालन का अधिकतर भार उत्तराखण्ड के पर्वतीय सम्भाग में महिलाओं पर पड़ता है। हमारे स्वयं के खेतों में खनन करने वाले 60.0 प्रतिशत उत्तरदाता खड़िया खनन से महिलाओं के कष्टों में वृद्धि होने की पुष्टि करते हैं जबकि 40.0 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं के कष्टों में अभिवृद्धि की जगह उनके कष्टों में कमी आने की बात को स्वीकारते हैं। क्योंकि ये लोग खनन से हुई आय से पशुचारा खरीद लेते हैं। हमने स्वयं के खेतों में खनन करने वाले

उत्तरदाताओं से यह जानने का भी प्रयास किया कि वे खनन हेतु अपने खेतों में कितनी गहराई तक खुदाई करते हैं ? जहां दोनों गांवों के 60.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 15–20 फीट की गहराई तक खुदाई की बात स्वीकारी वहीं दूसरी ओर बाफिला गांव के 40.0 उत्तरदाताओं ने 10–65 फिट गहराई तक तथा झड़कोट के 40.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अवगत कराया कि जितनी गहराई में खड़िया उपलब्ध होगी उतनी गहराई तक उसकी खुदाई की जाती है और इसकी गहराई की कोई सीमा नहीं होती है। खड़िया खनन करने के बाद 70.0 प्रतिशत उत्तरदाता खेतों को समतल करने की गत स्वीकारते हैं जबकि 30.0 प्रतिशत लोग खेतों को समतल करने में असमर्थ रहते हैं। इनका कहना रहता है कि हमें खड़िया खनन से जो आय प्राप्त हुई है वह सब खेत को समतल करने में लग जायेगा तो फिर खड़िया खनन से क्या फायदा है।

छोटे–2 व सीढीनुमा खेत होने के कारण यह स्वाभाविक है कि जहां ऊपर वाले खेत में खनन करने से नीचे वाले खेतों में पत्थर व खनन मलुवा जायेगा वहीं नीचे वाले खेत में खनन करने से ऊपर वाले खेत की मिट्टी धंस जायेगी जिसके कारण गांव में आपसी विवाद व वैमन्स्यता फैलती है। हमारे स्वयं के खेतों में खनन करने वाले 90.0 प्रतिशत उत्तर दाता आपसी विवाद होने की बात को स्वीकारते हैं। जबकि बाफिला गांव का एक उत्तरदाता आपसी विवाद को नहीं स्वीकारता है क्योंकि उसने अपने खेतों में जहां भी खनन किया उससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित नहीं हुआ है। खनन से होने वाले विवाद से निपटने के लिये स्वयं के खेत में खनन करने वाले लोग जब तक खनन का कार्य करेगें तब तक खनन प्रभावित लोगों को मलुव आदि को रखने के बदले में जमीन का किराया देते हैं। बाफिला गांव में 25.0 प्रतिशत व झड़कोट के 60.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने खनन के वक्त प्रभावित कृषकों को मलुवा व अन्य सामग्री को रखने का किराया देने की बात स्वीकारते हैं। आपसी विवाद को निपटाने के लिय झड़कोट के 20.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रभावित खेत में उत्पादित होने वाली फसल का मूल्य देने की बात स्वीकारी है। हमारे 40.0 प्रतिशत उत्तरदाता यह भी बताते हैं कि जिस प्रकार का व जितना खनन से नुकसान हुआ होता है उसी के अनुसार आपसी समझौते से प्रभावित परिवार को मुआवजा दे देते हैं। यद्यपि खनन से प्रभावित लोगों को खनन मलवा रखने का किराया, फसल का मूल्य व नुकसान के अनुसार मुआवजा दिया

जाता है लेकिन भविष्य में फसल उत्पादन में होने वाली कमी को ध्यान में रखकर गांव में आपसी मनमुटाव बना रहता है।

तालिका संख्या 3.8 खड़िया खनन से स्वयं पर पड़ने वाले प्रभाव

प्रभाव	बाफिला गांव	झड़कोट
1. खड़िया खनन से कृषि उत्पादकता कम होना है (प्रतिशत में)		
(i) 5–10	1 (20.0)	-
(ii) 10–15	2 (40.0)	-
(iii) 15–25	2 (40.0)	1 (20.0)
(iv) 25 प्रतिशत से अधिक	-	4 (80.0)
2. पशुचारा कम होना (प्रतिशत में)		
15–25	3 (60.0)	-
25 से अधिक	2 (20.0)	5 (100.0)
3. पशु चारा लाने में महिलाओं के कष्टों में वृद्धि		
(i) हॉ	2 (40.0)	4 (80.0)
(ii) नहीं	3 (60.0)	1 (20.0)
(iii) यदि नहीं तो कैसे		
(iv) चारा खरीद लेते	3 (100.0)	1 (100.0)
4. खनन हेतु कितनी गहराई तक अपने खेत खोदते हैं(फीट में)		
(i) 10–15	2 (40.0)	-
(ii) 15–20	3 (60.0)	3 (60.0)
(iii) जहां तक खड़िया मिले	-	2 (40.0)
5. खड़िया खनन के बाद खेत समतल करते हैं?		
(i) हॉ	4 (80.0)	3 (60.0)
(ii) नहीं	1 (20.0)	2 (40.0)
6. खेत समतल न करने का कारण		
(i) खड़िया से हुई आय का खेत समतल करने में लग जाना	1 (100.0)	2 (100.0)
7. खनन मलवा दूसरे के खेतों में जाने पर विवाद		
(i) हॉ	4 (80.0)	5 (100.0)
(ii) नहीं	1 (20.0)	-
8. विवाद का निपटारा होता है		
(i) मलवा रखने का किराया देना	1 (25.0)	3 (60.0)
(ii) खेतों में उगने वाले फसल का मूल्य	-	1 (20.0)
(iii) नुकसान के अनुसार मुआवजा	3 (75.0)	1 (20.0)

3.7 खड़िया खनन से खनन क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रभाव :

जहां पिछले भाग में स्वयं के खेतों में खनन करने से उन पर पड़ने वाले प्रभावों वाले विवरण प्रस्तुत किया गया है वहीं इस भाग में स्वयं के खेतों में खनन करने वाले व खनन से प्रभावित उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि खड़िया खनन से सकारात्मक व नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ रहें हैं ? जिसको तालिका संख्या 3.9 में दर्शाया गया है। तालिका में दिये गये अधिकतर उत्तर बहुविकल्पीय हैं।

तालिका संख्या 3.9 खड़िया खनन से खनन क्षेत्र में पड़ने वाले सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव

खड़िया खनन का प्रभाव	खनन से प्रभावित उत्तरदाता		स्वयं के खेतों में खनन करने वाले उत्तरदाता	
	बाफिला गांव	झड़कोट	बाफिला गांव	झड़कोट
(अ) खड़िया खनन से क्षेत्र में पड़े सकारात्मक प्रभाव				
(i) रोजगार मिलना	6 (60.0)	1(10.0)	4(80.0)	4(80.0)
(ii) अच्छा पहनावा व भोजन	1 (10.0)	1(10.0)	3(60.0)	1(20.0)
(iii) बच्चों की शिक्षा	-	1(10.0)	-	-
(iv) बाजार का विस्तार	4 (40.0)	-	2(40.0)	1(20.0)
(v) धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यों हेतु आय	-	2(20.0)	5(100.0)	4(80.0)
(vi) आय में वृद्धि	4 (40.0)	2(20.0)	2(40.0)	-
(vii) मकान बनाया	-	-	5(100.0)	4(80.0)
(ब) खड़िया खनन के नकारात्मक प्रभाव				
(क) भूमि सम्बन्धी				
(i) भूमि की उपजाऊ परत का हटना	0(100.0)	0(100.0)	2(40.0)	2(40.0)
(ii) भूस्खलन	9(90.0)	9(90.0)	3(60.0)	1(20.0)
(iii) कृषि भूमि का कम होना	10(100.0)	10(100.0)	1(20.0)	1(20.0)
(iv) नदियों /गधेरों में गाद बैठना	8(80.0)	9(90.0)	2(40.0)	3(60.0)
(ख) जल संसाधन पर प्रभाव				
(i) पेयजल स्त्रोत सूखना	10 (100.0)	10(100.0)	1(20.0)	
(ii) जल प्रदूषित होना	10(100.0)	8(80.0)	2(40.0)	-
(ग) वतावरण पर प्रभाव				
(i) वायु प्रदूषण से बीमारी	10(100.0)	(90.0)	-	2(40.0)
(ii) तापमान में वृद्धि	6(60.0)	6(60.0)	1(20.0)	2(40.0)
(घ) वनस्पतियों पर प्रभाव				
(i) मजदूरों द्वारा वन कटान	4(40.0)	(50.0)	1(20.0)	1(20.0)
(ii) कृषि भूमि पर अनाज कम उगना	10(100.0	9(90.0)	2(40.0)	1(20.0)
(iii) घास व अन्य वनस्पतियों का न उगना	9(90.0)	10(100.0)	1(20.0)	2(40.0)
(iv) नरगढ़ी घास का उगना	3(30.0)	1(10.0)	1(20.0)	1(20.0)

(ङ.) विकास कार्यक्रमों पर प्रभाव				
(i) पेयजल नलों का टूटना	5(50.0)	6(60.0)	1(20.0)	-
(ii) नहर व गूलों का टूटना/गाद भरना	3(30.0)	3(30.0)	1(20.0)	1(20.0)
(iii) सड़क टूटना व धंसना/यातायात प्रभावित	4(40.0)	5(50.0)	1(20.0)	1(20.0)
(iv) आवासीय मकानों में दरार	3(30.0)	4(40.0)	2(40.0)	3(60.0)
(v) बिजली खम्बों का उखड़ना	1(10.0)	1(10.0)	-	1(20.0)
(च) अन्य प्रभाव				
(i) जानवरों के चारे की कमी	10 (100.0)	10(100.0)	5(100.0)	5(100.0)
(ii) महिलाओं के कष्टों में अभिवृद्धि	7(70.0)	8(80.0)	2(40.0)	4(80.0)
(iii) राहजनी/अपराध में वृद्धि	4(40.0)	3(30.0)	1(20.0)	1(20.0)
(iv) मेले त्यौहारों में झगड़ा	3(30.0)	2(20.0)	-	-
(v) गांवों में आपसी वैमनस्यता	2(20.0)	3(30.0)	2(40.0)	-
(vi) राशन दुकान से मिट्टी तेल कम मिलना	1(10.0)	4(40.0)	-	-
(vii) खनन गड्डों में दुर्घटना का भय	4(40.0)	3(30.0)	1(20.0)	1(20.0)
(viii) स्थानीय लोगों को कम रोजगार	6(60.0)	5(50.0)	3(60.0)	4(80.0)
(ix) घोड़े खच्चरों से परेशानी	4(40.0)	6(60.0)	2(40.0)	3(60.0)

(अ) खड़िया खनन के सकारात्मक प्रभाव :

जहां तक खड़िया खनन के सकारात्मक प्रभाव पड़ने का प्रश्न है उसमें हमारे 50.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अवगत कराया कि खड़िया खनन से लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है क्योंकि जहां एक ओर खननकर्त्ता स्वयं के खेतों में खड़िया खनन करके रोजगार पाये हैं दूसरी तरफ क्षेत्र के कुछ लोग खड़िया खनन लीज लेकर रोजगार पाये हैं। हमारे 20.0 प्रतिशत उत्तरदाता यह भी अवगत कराते हैं कि खनन से रोजगार व आय प्राप्त होने के कारण अब वे लोग अच्छा भोजन तथा अच्छे कपड़े पहन पा रहें हैं। झड़कोट के एक उत्तरदाता ने अवगत कराया कि खनन से हो रही आय के कारण वह अपने बच्चे को बड़े शहर में पढ़ाई हेतु भेज पाया है। बाफिला गांव के 20.0 प्रतिशत तथा झड़कोट के 3.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने खड़िया खनन होने से बाजार का विस्तार होने की बात स्वीकारी है। क्योंकि नेपाली मजदूरों के कारण स्थानीय लोगों ने छोटी–2 दुकानें जैसे–चाय व खाने के होटल आदि का विस्तार किया है।

स्वयं के खेतों में खनन करने वाले बाफिला गांव 90.0 के शत प्रतिशत व खनन प्रभावित झड़कोट के 20.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अवगत कराया कि खड़िया खनन से होने वाली आय से पूजा–पाठ व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करने में सहायता मिलती है। खनन से प्रभावित बाफिला गांव के 40.0 प्रतिशत व झड़कोट के 20.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार खनन से खनन कार्य में कार्यरत लोगों की आय में वृद्धि हुई है जबकि स्वयं के खेतों

में खनन करने वाले बाफिला गांव के मात्र 50.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने खनन कार्य से आय में वृद्धि होने की बात को स्वीकारा है।स्वयं के खेतों में खनन करने वलो बाफिला गांव के शत प्रतिशत उत्तरदाताओं व झड़कोट के 80.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने खनन से होने वाली आय से अपना मकान बनाने की बात स्वीकारी है।

(ब) खड़िया खनन के नकारात्मक प्रभाव :

खड़िया खनन से जहां एक ओर कुछ लोगों को रोजगार, बाजार का विस्तार, कुछ लोगों के रहन–सहन के स्तर में वृद्धि व कुछ लोग अपना अच्छा मकान बना पाये हैं वहीं दूसरी ओर खनन प्रभावित व स्वयं के खेतों में खनन करने वाले उत्तरदाता वर्तमान में व भविष्य में खड़िया खनन से पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के सम्बन्ध में सजग पाये गये उनके अनुसार खड़िया खनन से क्षेत्र में पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित है।

(i) भूमि सम्बन्धी प्रभाव :

जैसा कि पूर्व में भी कहा गया है कि उत्तराखण्ड में खड़िया खनन का कार्य अवैध खनन को छोड़कर निजी कृषकों के नाप भूमि में किया जा रहा है। जब खेतों में खनन कार्य किया जायेगा तो यह स्वाभाविक है कि वर्षों से उपजाऊ बनाई गयी भूमि की परत खड़िया खनन से जमीन के उस भाग से अलग हो जायेगी। हमारे खनन से प्रभावित बाफिला गांव व झड़कोट के शत प्रतिशत उत्तरदाता इस बात की पुष्टि करते हैं कि एक बार जमीन पर खनन करने से उसकी उपजाऊ परत हट जाती है और दुबारा उसको उसके मूल रूप में नहीं लाया जा सकता है। स्वयं के खेतों में खनन करने वाले बाफिला गांव व झड़कोट के 20–20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने भी इस बात को दोहराया है क्योंकि ये लोग स्वयं खनन करके इसका अनुभव रखते हैं।

वर्त्वाल (1986) ने लिखा है कि कमजोर भूगर्भीय संरचना, वनों की अन्धाधुंध कटाई, अधिक ढलान वाली भूमि पर भूसंरक्षण उपायों के बिना खेती करना, सड़कों का निर्माण, खनन कार्य तथा विस्फोटकों के अत्यधिक प्रयोग आदि के कारण उत्तराखण्ड में भू–स्खलन होते आये हैं। भूमि व जल संरक्षण उपायों के अभाव में हिमालय से अत्यधिक मिट्टी कटकर नदियों में जा रही हैं। इस प्रकार नदियों का जलस्तर ऊँचा हो जाता है। जो वर्षा ऋतु में किनारे पर स्थित भूखण्डों को जल प्लावित करता हुआ भूस्खलनों का कारण बनता है। नदी

नालों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में भूमि कटाव व भूस्खलन द्वारा लाई गयी मिट्टी जलाशयों, सिंचाई नहरों, टंकियों तथा बांधों में इकट्ठा होती है और उनकी आयु कम हो जाती है। हमारे अध्ययन क्षेत्र के गांवों में कमजोर भूगर्भीय संरचना के बावजूद वर्तमान में बुलडोजर (स्थानीय भाषा में डोजर) चलाकर खनन कार्य किया जा रहा है जिससे हजारों टन खनन मलुवा या तो पंचायती वनों में जा रहा है या फिर पुंगर नदी में समा जा रहा है। पुंगर नदी जिसका प्रवाह सतत् बना रहता है वहां खनन से उसके बहाव में व्यवधान आता है और पानी एक जगह इकट्ठा होने लगता है इसके कारण मिट्टी में असन्तुलन पैदा होता है जिसकी परिणति भूस्खलन के रूप में सामने आती है। असन्तुलन की स्थिति भारी वर्षा के समय और भी गम्भीर हो जाती है।

स्थानीय व क्षेत्रीय लोगों ने अवगत कराया कि नदी के किनारे बसे लोगों की सैकड़ों एकड़ जमीन नदियों में गाद बढ़ने के कारण भू–स्खलन की शिकार हो गयी है और आने वाले समय मं इसमें अधिक वृद्धि होने की सम्भावना है। हमारे अध्ययन के खनन प्रभावित 90.0 प्रतिशत उत्तरदाता वर्तमान के साथ–2 भविष्य में भू–स्खलन की सम्भावना जताते हैं। जबकि स्वयं के खेतों में खनन करने वाले बाफिला गांव के 60.0 प्रतिशत व झड़कोट के 20.0 प्रतिशत उत्तरदाता इसकी पुष्टि करते हैं। यह भी स्वाभाविक है कि यदि वर्तमान में खनन कार्य इसी तरह जारी रहेगा तो कृषि भूमि कुछ ही वर्षों में काफी कम हो जायेगी। जबकि बागेश्वर जिले में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल के लगभग 19.0 प्रतिशत भू–भाग ही शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल के अन्तर्गत आता है। हमारे अध्ययन के लगभग 73.0 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि भूमि के कम होने की सम्भावना जताते हैं। लगभग 73.0 प्रतिशत उत्तरदाता नदियों, नहरों/गूलों व गधेरों में गाद बढ़ने से जलस्तर बढ़ने की बात स्वीकारते हैं जो बाढ़ व भूस्खलन को निमंत्रण दे रहें हैं। भूस्खलन से झड़कोट गांव का एक परिवार (तीन सदस्य, 2 जानवर) जो खनन क्षेत्र में था पुंगर नदी में समा चुका है।

(ii) जल सम्बन्धी प्रभाव :

सामान्यतः नदियां, नौले (कुंआ), टंकियां, गूल व दूर–2 से नलों द्वारा गांवों में लाया गया पेयजल लोगों के पानी का मुख्य स्रोत रहा है। खनन में होने वाले विस्फोटकों के कारण जहां पेयजल के स्रोत सूख रहें हैं वहीं बुलडोजरों के माध्यम से उड़ेले गये मलुवा से

जहां पानी शुद्ध भी है वहां खड़िया मलबे के कारण पेयजल दूषित हो रहा है। हमारे अध्ययन के खनन प्रभावित शत प्रतिशत तथा स्वयं के खेतों में खनन करने वाले बाफिला गांव के 20.0 प्रतिशत उत्तरदाता खड़िया खनन से पेयजल स्त्रोत सूखने की बात को स्वीकारते हैं। जबकि कुल 73.3 प्रतिशत उत्तरदाता खड़िया खनन से जल प्रदूषित होने की बात स्वीकारते हैं। जिसके कारण लोगों को जानवरों व स्वयं के लिये पेयजल को जुटाने में कठिनाई हो रही है।

(iii) वातावरण पर प्रभाव :

यह भी सोचनीय विषय है कि खनन लीजधारी को खनन क्षेत्र में उगे झाड़ियें को व उसमें उगे बड़े पेड़ों को सक्षम अधिकारी की अनुमति से काटने का अधिकार प्राप्त है लेकिन छोटी झाड़ियों के काटने के अधिकार के एवज में बाफिला गांव के नये लीजधारी द्वारा बांज के वर्षों से उगे पेड़ों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। उसी प्रकार क्षेत्र के बैकोड़ी व उड्यार क्षेत्र में भी बुलडोजर व अन्य माध्यमों से वनस्पति को नष्ट किया जा रहा है। झड़कोट में खनन रत पुराना लीजधारी तो बेनाप भूमि में सर्वेक्षण के समय खनन करते वक्त चीड़ के पेड़ों की कटाई करते हुए देखा गया है। यह स्वाभाविक है कि छोटी–2 पौधों की झाड़ियां व पेड़ न रहने पर तापमान में वृद्धि होगी। हमारे अध्ययन के दोनों गांवों के लगभग 47.0 प्रतिशत उत्तरदाता तापमान में वृद्धि होने की बात स्वीकारते हैं। गर्मी के दिनों में चलने वाली हवा के साथ खड़िया की धूल उड़ने से लोगों को अनेक बीमारियां जैसे टी0वी0, श्वास व पेट के रोग होने की बात हमारे कुल 70.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकारी है।

(iv) वनस्पतियों पर प्रभाव :

अपने एक लेख में वर्त्वाल (1986) ने लिखा है कि मृदा वृक्षों को आधार तथा आश्रय देती है और उनकी वृद्धि के लिए जल तथा खनिज एकत्रित करती है, वनस्पतियों के विकास में भी मिट्टी महत्वपूर्ण कार्य करती है। इस प्रकार वनस्पति और मृदा का अटूट सम्बन्ध है और दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं। एक इंच मोटी मृदा की पर्त को प्राकृतिक रूप से बनने में 500 से 800 वर्ष तक का समय लगता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 10 ग्राम मृदा में 10 लाख प्रोटोजुआ, 50 अरब वैक्टीरिया तथा लाखों कवक पाये जाते हैं जिससे कि मृदा शाक्तिशाली व उपजाऊ हो जाती है और वनस्पतियों को उगने में आसानी हो जाती है। जहां एक इंच मोटी मृदा पर्त बनने में 5–8 सौ वर्ष लगते हैं वहीं बागेश्वर जनपद के 4438.

262 एकड़ क्षेत्रफल में खनन पट्टे लेकर लीजधारी क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को आने वाले हजारों वर्षों के लिये लील रहें हैं।

यद्यपि बढ़ती हुई जनसंख्या के दवाब तथा ग्रामवासियों की अज्ञानता के कारण वनों को अधिक नुकसान होता रहा है। खड़िया खनन होने से वनों के कटान की समस्या और बढ़ा दी है। आज बागेश्वर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे खड़िया खदान के हजारों मजदूर अपने ईधन की आपूर्ति के लिए वनों से पेड़ों को काट रहें हैं। हमारे खनन प्रभावित व स्वयं के खेतों में खनन करने वाले दोनों गांवों के कुल लगभग 37.0 प्रतिशत उत्तरदाता इसकी पुष्टि करते हैं। जहॉ एक ओर खनन मजदूर क्षेत्र के वनों में अपने जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जंगल काट रहें हैं वहीं दूसरी ओर हमारे चयनित दोनों गांवों के 70.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अवगत कराया है कि जिस जमीन पर खड़िया खनन मलुवा गिरता है अथवा जमा हो जाता है वहां या तो घास व अन्य वनस्पति बिल्कुल भी नहीं उगती है या फिर वनस्पति के उगने में वर्षों लग जाते हैं। हमारे खनन क्षेत्र के उत्तरदाताओं ने यह भी अवगत कराया कि जिन किसानों ने अपने खेतों से खड़िया खनन कर लिया है और खनन वाली जमीन को समतल नहीं कर पाये वहां अब नरगड़ी घास उग आयी है। नरगड़ी घास को न ही जानवर खाते है और न ही उसको अन्य किसी उपयोग में लाया जा सकता है वरन् यह घास एक छुआछूत की बीमारी की तरह है और पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेते जा रहा है। हमारे दोनों चयनित गांवों के 20.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसकी पुष्टि की है। यह स्वाभाविक है कि एक तरफ जहां खनन की गयी भूमि समतल नहीं होने के कारण अनाज उत्पादन कम हुआ है वहीं दूसरी ओर जिन लोगों ने खनन के बाद खेतों को समतल किया है उनके खेतों में भी अनाज कम उगता है। इसकी पुष्टि स्वयं के खेतों में खनन करने वाले बाफिला गांव व झड़कोट के 40–40 प्रतिशत उत्तरदाताओं के साथ–साथ 95.0 प्रतिशत खनन प्रभावित उत्तरदाताओं ने की है।

(v) विकास कार्यक्रमों पर प्रभाव :

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद बागेश्वर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अवैध व अवैज्ञानिक खड़िया खनन के सम्बन्ध में बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं पत्रकारों ने अपने विरोध के स्वर जारी रखे। (देखें परिशिष्ट) जहां बागेश्वर जनपद के

बाफिला गांव (सनेती) के भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति, नेहरू युवा केन्द्र ने खनन के प्रभावों को उजागर किया वहीं दूसरी ओर काण्डा क्षेत्र में सरस्वती शिशु मन्दिर के व्यवस्थापक, ग्राम प्रधानों तथा भूतपूर्व सैनिक किसान दल, रीमा में पुंगरधाटी किसान संगठन तथा लाहुर घाटी विकास संगठन ने जखेड़ा क्षेत्र में खड़िया खनन का विरोध किया। सन् 1999 में बागेश्वर जनपद के जिला परिषद अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश में पर्वतीय विकास राज्य मंत्री ने अवैध खनन को रोकने के आदेश दिये। विभिन्न संगठनों व राजनेताओं ने खनन से पैदल रास्तों, पुलों, मोटर मार्ग, गूलों, भवनों, नहरों, पेयजल योजनाओं व नौलों के क्षतिग्रस्त होने की बात को उजागर किया था।

हमने भी अपने उत्तरदाताओं से विगत 60 वर्षों में किये गये विकास कार्यों में किये गये विकास कार्यक्रमों पर खड़िया खनन का क्या प्रभाव पड़ा है उसको जानने का प्रयास किया। हमारे अध्ययन के 30 उत्तरदाताओं में से 12 उत्तरदाताओं ने दूर–2 से लाये गये पेयजल ने नलों के टूटने की बात स्वीकारी है। लगभग 27.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सिंचाई नहर व छोटे–2 गूलों में गाद भरने व टूटने से सिंचाई में कठिनाई आने की बात को स्वीकारा है। बागेश्वर जनपद के पुंगरघाटी से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रक खड़िया की निकासी की जाती है। ट्रक वाले नियत भार वहन करने की क्षमता से अधिक खड़िया को ट्रक में ले जाते हैं जिससे सड़कें टूट जाती हैं या उबड़ खाबड़ हो जाती हैं। सामान्यतः लीजधारी खड़िया से भरे बोरे सड़क के किनारे जमा कर देते हैं जो वर्षा होने की स्थिति में पानी के बहाव को रोकते हैं जिसके कारण सड़कें धंस जाती हैं और लोगों को यातायात में असुविधा होती है। हमारे अध्ययन के दोनों चयनित गांवों के लगभग 37.0 प्रतिशत उत्तरदाता इसकी पुष्टि करते हैं।

यद्यपि खनन की शर्त में स्पष्ट किया गया है कि खनन हेतु डायना माईट से विस्फोट नहीं किया जायेगा लेकिन इस शर्त का आज सरासर उल्लंघन हो रहा है। लोगों के घरों के पास दिन में आपसी विवाद होने के भय से रात में विस्फोट किये जा रहें हैं। लोगों के आवासीय मकानों के नीचे खनन किया जा रहा है जिसके कारण ग्रामवासियों व लीजधारियों में आपसी विवाद बढ़ता रहता है। हमारे अध्ययन के 30 उत्तरदाताओं में से 40.0 प्रतिशत उत्तरदाता आवासीय मकानों में दरार पड़ने की बात स्वीकारते हैं। बाफिला गांव के एक

उत्तरदाता व झड़कोट के 2 उत्तरदाताओं ने खड़िया खनन से बिजली के खम्भे उखड़ने की बात स्वीकारी है।

(vi) खड़िया खनन के अन्य प्रभाव :

पर्वतीय क्षेत्र का प्रत्येक भाग जिसमें संरक्षित वन भी शामिल है स्थानीय लोगों की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होते हैं अब खनन मलवा से इनको प्रभावित करना न्याय संगत नहीं है क्योंकि एक या एक से अधिक गांव वालों को प्रभावित किये बिना खनन करना मुश्किल है। कंकड़ पत्थरों के खेतों में भर जाने के कारण पशुचारा उगने में दिक्कत आती है। जिसके कारण पशुचारा कम हो जाता है इसके अलावा स्वयं के खेतों में खनन करने से स्वयं के खेतों से जो धान का पुआल व गेहूँ का भूसा मिलता था उसकी कमी हो जाती है। हमारे दोनों गांवों के शतप्रतिशत उत्तरदाता खड़िया खनन में पशुचारे की कमी की बात को स्वीकारते हैं। उत्तराखण्ड के पर्वतीय सम्भाग में पशुपालन महिलाओं पर निर्भर करता है यदि नजदीक में पशुचारा कम होगा तो पशुचारा लाने के लिए महिलाओं को अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। दूरी के साथ–साथ चारा एकत्रण में अधिक समय भी लगाना पड़ेगा। हमारे अध्ययन के कुल 30 उत्तरदाताओं में से 70.0 प्रतिशत उत्तरदाता खनन से महिलाओं के कष्टों में वृद्धि की बात को स्वीकारते हैं।

यह भी एक आम धारणा है कि उत्तराखण्ड का आम जन अपनी ईमानदारी व सादगी के लिए जाना जाता है। आज भी पर्वतीय सम्भाग के अधिकतर घरों में ताला नहीं लगता है। महिलायें अपने गहने पहनकर ससुराल व मायके बिना किसी भय के आती जाती थी लेकिन जब से क्षेत्र में खड़िया खनन आरम्भ हुआ है महिलाओं के गहने पहनना काफी कम हो गया है। इसक साथ–2 देश के अन्य भागों में राहजनी व अन्य अपराध करने वाले अपराधियों के लिये खनन क्षेत्र उनके बचाव के आरामगाह बन गये हैं क्योंकि ये अपराधी जहां पुलिस नहीं पहुंच पाती उन खड़िया खानों में आराम से खनन मजदूर के रूप में नौकरी पा जाते हैं। हमारे चयनित गांवों के 30 उत्तरदाताओं में से 9 (30.0 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने राहजनी व अपराध की वृद्धि को स्वीकारा है।

उत्तराखण्ड के पर्वतीय सम्भाग में लगभग प्रतिमाह कोई न कोई त्यौहार या मेला होते रहता है जिसमें गाना–बजाना करके लोग मनोरंजन करते हैं लेकिन अब वर्तमान में

चित्र सं0–1 झड़कोट के सिविल बन में किया जा रहा खनन।

चित्र सं0–2 झड़कोट में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क के ऊपर हो रहा खनन।

चित्र सं0–5 बाफिला गॉव व उससे जुड़े अन्य गॉव जिनकी खनन की हुयी भूमि पर नरगड़ी घास उगी है।

चित्र सं0–6 ग्राम उडयार में बुलडोजर से पंचायती बनों में गिराया जा रहा मलवा।

चित्र सं0–7 ग्राम बैकुड़ी में किया जा रहा खनन।

चित्र सं0–8 नाकुरी पट्टी में किया जा रहा खनन।

मजदूरों द्वारा मदिरापान करके उत्पात मचाने के कारण आपसी झगड़ों में वृद्धि हो रही हैं हमारे अध्ययन के खनन प्रभावित लगभग 17.0 प्रतिशत उत्तरदाता इसकी पुष्टि करते हैं। खड़िया खनन के कारण एक–दूसरे की कृषि भूमि में खनन मलुवा जाने व उनकी कृषि उत्पादकता कम होने के साथ–2 जिन लोगों के खेतों में खड़िया उपलब्ध नहीं है उनमें आपसी द्वेष भाव पैदा होते जा रहें हैं क्योंकि खनन का प्रभाव इन लोगों पर भी पड़ता है लगभग 23.0 उत्तरदाता इसकी पुष्टि करते हैं। हमारे चयनित कुल उत्तरदाताओं में से लगभग 27.0 प्रतिशत उत्तरदाता राशन के दुकान से मिट्टी तेल कम मिलने की शिकायत करते हैं क्योंकि राशन बिक्रेताओं द्वारा खनन मजदूरों को भी मिट्टी तेल की आपूर्ति की जाती है। यह भी देखने में आया है कि खनन लीजधारी व स्वयं के खेतों में खनन करने वाले खननकर्त्ता खनन करने के बाद खेतों को समतल नहीं कर रहें हैं। परिणामस्वरूप गड्ढों में पानी भरने से दूसरे के खेतों में अनावश्यक पानी का रिसाव होता है और कभी–2 जानवर भी इन गड्ढों में फंस जाते हैं। यद्यपि नाप भूमि स्थानीय लोगों की कम हो रही है और लीजधारी अत्यधिक लाभ अर्जित कर रहे हैं और रोजगार नेपाली लोगों को मिल रहा है। हमारे चयनित दोनों गांवों के 60.0 प्रतिशत उत्तरदाता इसकी पुष्टि करते हैं। हमारे अध्ययन में कुल 30 उत्तरदाता में से 15 उत्तरदाता (50–0 प्रतिशत) यह भी अवगत करते हैं कि खड़िया खनन यातायात में लगे सैकड़ों घोड़े–खच्चरों के कारण जहां राह चलते और सिर में बोझ लिए महिलाओं व लोगों को एकल मार्ग होने के कारण घण्टों खड़ा रहना पड़ता है वहीं घोड़े–खच्चरों के चलने से पैदल रास्ते तहस–नहस हो जाते हैं और खड़ी फसल को भी इनके द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। यह भी देखने में आया है कि जहां एक ओर पुराने लीजधारी उत्तराखण्ड के बाहर के हैं वहीं दूसरी ओर स्थानीय लीजधारी खनन क्षेत्र से दूर उत्तराखण्ड के मैदानी क्षेत्रों में अपना मकान व जमीन खरीद चुके हैं लेकिन पर्वतीय सम्भाग का दुर्भाग्य है कि उनको रोजगार भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

अध्याय 4

अध्ययन का सार व सुझाव

1.1 अध्ययन का सार :

उत्तराखण्ड के पर्वतीय सम्भाग की अधिकतर जनसंख्या कृषि में संलग्न है लेकिन कृषि इस क्षेत्र में न ही आय का मुख्य स्त्रोत रही है और न ही भविष्य में इसके मुख्य आय का स्त्रोत बनने की आशा है। यह भी सत्य है कि उत्तराखण्ड का पर्वतीय सम्भाग विभिन्न प्रकार के व विभिन्न युगों के पाषाणों के नीचे विद्यमान खनिजों से परिपूर्ण है लेकिन पर्वतीय सम्भाग में खनन कार्य सरकारी नीतियों व निजी हितों के बीच एक जटिल व विवादास्पद मोड़ पर स्थित है। एक ओर जहां सन् 1980 व 1988 की वन नीति का मुख्य उद्‌देश्य पर्यावरणीय स्थिरता व पारिस्थितिकीय सन्तुलन को बनायें रखना है वहीं दूसरी ओर पर्वतीय क्षेत्र का दो–तिहाई क्षेत्रफल संरक्षित वन के अन्तर्गत होना चाहिए ताकि भूमि कटाव व धंसाव को रोका जा सके। सरकार दो तरह की नीति–पहला खनिज संसाधनों का औद्योगिक दृष्टि से अधिकतम शोषण तथा दूसरा हिमालय क्षेत्र के पर्यावरण पर छेड़छाड़ नहीं करने की नीति अपना कर **विनाश के बिना विकास** की परिकल्पना करती है। खनन से सम्बन्धित विभागों का भी यह विचार रहता हैं कि औद्योगीकरण विकास की कुन्जी है और खनिज इस औद्योगीकरण के लिए कच्चा माल है। इसी कारण सरकार ने उत्तराखण्ड के पर्वतीय सम्भाग में अनेक खनिजों की पहचान की है, खड़िया नाम का खनिज उनमें से एक मुख्य खनिज है, जिसका सत्तर के दशक के बाद अबाध गति से दोहन चल रहा है।

अधिकतर लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय सम्भाग में मानव व भूमि का अनुपात पर्वतीय लोगों के जीविकोपार्जन की दृष्टि से असन्तुलित है। अब खनन से इस असन्तुलन को और गहरा किया जा रहा है। खड़िया व अन्य खनिजों के खनन से होने वाले नुकसान को देखते हुए देश के बुद्धिजीवियो, पर्यावरणविदों,

समाजसेवियो, राजनेताओं व स्थानीय लोगों ने अपने विरोध के स्वर उजागर किये। काफी विरोध के बाद भी जब पर्वतीय सम्भाग के गौचर भूमि, पंचायती व सिविल वन भूमि में किया जा रहा खनन कार्य नहीं रूक पाया तो लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सन् 1996 में वन अधिनियम 1980 के अनुसार परिभाषित वन भूमि में खनन कार्य में रोक लगा दी। तत्कालीन प्रदेश सरकार ने भी उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार शासनादेश जारी कर सिविल व पंचायती वन भूमि में रोक लगा दी।

यद्यपि माननीय उच्चतम न्यायालय व प्रदेश के शासनादेश के बाद कुछ गांवों मे खनन कार्य बन्द हो गया हो लेकिन कुछ जगहों पर 5–6 वर्ष तक खनन कार्य जारी रहा। एक तरफ माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय व सरकारी शासनादेश के कारण अवैध खडिया खनन अवश्य ही कम हुआ लेकिन दूसरी तरफ सन् 1893 में नाप घोषित की गयी भूमि में खड़िया खनन करने की स्वीकृति होती रही क्योंकि नाप भूमि में खड़िया खनन में किसी प्रकार की रोक नहीं है। इसी कारण वर्तमान में खड़िया खनन की लीज लेने वाले ठेकेदार कुकुरमुत्तों की तरह उग आये है।

उत्तराखण्ड में खड़िया खनन के सम्बन्ध में उपलब्ध साहित्य के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि विगत 60 वर्षो में किये विकास कार्यो, पर्यावरण, महिलाओं के कष्टों में अभिवृद्धि, कृषि उत्पादकता का ह्रास, स्थानीय लोगों को कम रोजगार, सरकार को समुचित आय न होना, खनिज माफियाओं का भय आदि मुद्दे उभर कर सामने आये है। इन मुद्दों में कितनी सत्यता है, को परखने के लिए जनपद बागेश्वर के विकास–खण्ड बागेश्वर के झड़कोट तथा विकास खण्ड–कपकोट के बाफिला गांव का चयन किया गया। प्रस्तुत अध्ययन के तीन उद्देश्य है– पहला जिन क्षेत्रों में खड़िया खनन किया जा रहा है, क्या वह खनन मानकों व शर्तो के अनुसार हो रहा है? दूसरा खनन क्षेत्र व उससे जुड़े क्षेत्रों के लोगो के आर्थिक व पर्यावरणीय स्थिति पर खनन का क्या प्रभाव पड़ रहा है? तीसरा खनन उत्पाद बिक्री प्रतिस्पर्धा एवं खनन में रोजगार देने में लाइसेन्सधारियों व स्वंय के खेतों मे खनन करने वालों व क्षेत्रवासियों के बीच सम्बन्धों की स्थिति का अध्ययन करना रहा है।

जहां खनन लीजधारी को लीज वाली जमीन में खनिजों की खोज, खनन हेतु गहरे गड्ढे करने, खनन मशीनों व औजारों को खनन क्षेत्र में लाने व उसका उपयोग करने, पेयजल स्त्रोत व झरनों का उपयोग, खनन क्षेत्र में खनन उत्पाद को जमा करना तथा लीज वाले क्षेत्र में झाड़ियों को काटने की शक्तियां मिली है, वहीं दूसरी ओर लीजधारी को सतही भूमि जो वर्तमान में उपयोग मे नहीं है और असंरक्षित क्षेत्र के पेड़ काटने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। संरक्षित वन क्षेत्र में प्रवेश व पेड़ काटने के लिए जिला वन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। सार्वजनिक कार्यो जैसे सड़क, तालाब, नहर, सरकारी भवन व आबादी के पास से 50 मीटर की दूरी तक खनन कार्य नहीं करना होगा। ग्रामीण सडक जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, के 10 मीटर की दूरी तक खनन कार्य नहीं करना होगा। किसी दुर्घटना या मौत की सूचना जिलाधिकारी को देनी होगी। लीजधारी को अपने लीज क्षेत्र में दर्शायी गयी सीमाओं को सही तरीके से अंकित करना तथा खनन कार्य में कितने व किस येाग्यता के लोग कार्यरत है उनका विवरण रखना होगा। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देनी होगी। पर्यावरण सुरक्षा के लिए पट्टाधारी को पौधारोपण, जमीन को कृषि योग्य बनाना, और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय अपने खर्चे से करने होंगे। लीजधारी को भूमि मालिकों को दिये गये नियमों के अनुसार मुआवजें का भुगतान करना होगा।

उपरोक्त खनन शर्तो का पालन हो रहा है कि नहीं, को परखने के लिए हमने 30 उत्तरदाताओं से इसकी जानकारी प्राप्त की। हमारे अध्ययन के 40 प्रतिशत उत्तरदाता 35–45 वर्ष के बीच के तथा लगभग 27 प्रतिशत 45–60 वर्ष के व 23 प्रतिशत युवा उत्तरदाता है। हमारे अध्ययन के 63 प्रतिशत उत्तरदाता हाईस्कूल व इण्टर पास है जबकि 10 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक व परास्नातक है। हमारे खनन प्रभावित बाफिला गांव व झडकोट के उत्तरदाताओं के क्रमशः 0.40 व 0.38 एकड़ भूमि पर लीजधारी द्वारा खनन किया जा रहा है जबकि स्वंय के खेत में खनन करने वाले बाफिला गांव व झडकोट के उत्तरदाताओं के द्वारा औसतन क्रमशः 0.45 व 0.20 एकड भूमि मे खनन कार्य किया जा रहा है। हमारे अध्ययन में 25 व 26 वर्ष पूर्व से दो–दो पुराने लीजधारियों ने (बाफिला गांव 348.43 क्षेत्र व झड़कोट 63.75 एकड क्षेत्रफल) लीज पट्टे तथा दो नये (बाफिला गांव 3.16 एकड क्षेत्रफल, झडकोट 2.98 एकड क्षेत्रफल) लीजधारियों ने लीज पट्टे लिये है। हमारे

अध्ययन के 18 उत्तरदाताओं (60.0 प्रतिशत) ने अवगत कराया कि लीजधारियों ने खनन पट्टे लेने से पूर्व उनसे सहमति नहीं लेने की बात स्वीकारी है। वरन् गांव वालों से सहमति लेने की सम्भावना जताते है। जबकि 4 उत्तरदाता लीज हेतु एन0ओ0सी0 लेते समय कम आयु व एक उत्तरदाता एन0ओ0सी0 के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं रखता है। हमने अध्ययन में यह भी पाया कि स्वंय के खेतों में खनन करने वालों के अलावा 8 खनन प्रभावित उत्तरदाताओं की जमीन लीजधारी के लीज क्षेत्र में आती है और 6 परिवारों की जमीन पर लीजधारी द्वारा खड़िया खनन किया जा रहा है। जबकि स्वंय के खेतों में जहां सभी उत्तरदाता खनन कार्य कर रहे है वहीं ग्राम झड़कोट के 2 उत्तरदाताओं के खेत में लीजधारी द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है। खनन लीजधारी खनन के बदले प्रति बोरा खड़िया उत्पाद के बदले 10 रूपया मुआवजे के रूप में खेत के मालिक को देता है।

जहां तक बागेश्वर जनपद में खड़िया खनन से सरकार को होने वाली वार्षिक आय का प्रश्न है तो सरकार को एक वर्ष में औसतन लगभग 1 करोड 73 लाख रूपये की आय हो रही है जबकि अवैध खनन के एवज में लगाये गये जुर्माने से औसतन लगभग 72 हजार रूपये की आय हो रही है। स्वंय के खेतों में खनन करने से प्रति खनन कर्ता परिवार को बाफिला गांव में लगभग 91 हजार व झड़कोट में लगभग 56 हजार रूपया शुद्ध आय प्राप्त हो रही है। चयनित दोनों गांवो के स्वंय के खेत में खनन करने वाले उत्तरदाताओं ने खनन कार्य हेतु लगभग 82 प्रतिशत नेपाली मजदूर व लगभग 7 प्रतिशत अन्य क्षेत्रों के मजदूर लगाये है। स्थानीय मजदूर के रूप में वे स्वंय खनन कार्य में लगे है। हमारे चयनित गांवो के लीजधारियों ने भी खनन हेतु लगभग 74 प्रतिशत नेपाली, 10 प्रतिशत अन्य क्षेत्र तथा 16 प्रतिशत स्थानीय मजदूरों को लगाया है। स्थानीय मजदूर सिर्फ खनन कार्य में ही कार्यरत न होकर शिक्षा मित्र व वन पंचायत के चौकीदार के रूप में लीजधारी ने नियुक्त किये है।

स्थानीय लोगों को खनन में वरीयता न देने के सम्बन्ध में ज्ञात हुआ कि स्थानीय मजदूर को रखने पर लीजधारी द्वारा किये जाने वाले अवैध खनन की जानकारी गांव वालों को हो जायेगी और किसी स्थानीय मजदूर की दुर्घटना या मृत्यु होने पर लीजधारी की जेब हल्की हो जायेगी इसके साथ–साथ स्थानीय लोग मुख्यतया कृषक होने के कारण

पूर्णकालिक मजदूर नहीं हो सकते है। हमारे अध्ययन में जहां स्थानीय व नेपाली मजदूर के मजदूरी दरों में भिन्नता पायी गयी वहीं दूसरी ओर पुरूष व महिला के मजदूरी दरों में भी भिन्नता पायी गयी है। हमारे अध्ययन के कुल 45 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने खड़िया खनन में मजदूरों की मृत्यु व दुर्घटना होने की बात को स्वीकारा है। एक ओर जहां खनन में कम घायल मजदूर जो काम कर सकने योग्य हों उसका इलाज किया जाता है वहीं दूसरी ओर गम्भीर रूप से घायल मजदूर को उसके मूल निवास को भेज दिया जाता है। मजदूर की मृत्यु होने की दशा मे औसतन 25000 से 18000 रूपये तक मुआवजा दिया जाता है।

हमने स्वंय के खेतों में खनन करने वाले उत्तरदाताओं से खड़िया खनन से उनके ऊपर पड रहे प्रभाव को जानने का प्रयास किया। उत्तरदाताओं से ज्ञात हुआ कि खडिया खनन से उनकी कृषि उत्पादकता में कमी, पशुचारा कम होना, पशुचारा लाने में महिलाओं के कष्टों में वृद्धि, खनन वाले खेत को समतल व कृषि योग्य बनाने की समस्या तथा खनन मलबा दूसरे के खेतों मे जाने पर आपसी विवाद होने की समस्यायें सामने आयी। हमने खनन से प्रभावित व स्वंय के खेतों में खनन करने वाले उत्तरदाताओं से खडिया खनन से क्षेत्र में पडने वाले सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों को जानने का प्रयास भी किया। जहां खडिया खनन से कुछ लोगों को रोजगार, अच्छा पहनावा व भोजन, बच्चों की शिक्षा में सुधार, बाजार का विस्तार, धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु आमदनी तथा कुछ उत्तरदाताओं ने खनन आय से मकान बनाने जैसे *सकारात्मक प्रभावों की बात को स्वीकारा है वहीं दूसरी तरफ खड़िया खनन से वर्तमान व* भविष्य में खड़िया खनन के नकारात्मक पहलुओं को भी उजागर किया है।

नकारात्मक प्रभावों में भूमि की उपजाऊ परत का हटना भूस्खलन, नदियों में गाद बैठना, कृषि भूमि का कम होना, पेयजल स्रोतों का सूखना व जलप्रदूषित होना, वायु प्रदूषण से बीमारी, तापमान मे वृद्धि, वनों का कटान, अनाजों के बीज व वनस्पतियों का कम उगना, पेयजल नल, नहर, सडक व बिजली के खंभों का उखडना, आवासीय भवनों में दरार, जानवरों के चारे की कमी, महिलाओं के कष्टों में अभिवृद्धि, मेले त्योहारों मे झगड़े–फसाद व राहजनी में वृद्धि, गांव में आपसी वैमनस्यता, स्थानीय लोगों को कम रोजगार, राशन की दुकान से मिट्टी तेल का कम मिलना, खनन गड्ढों से दुर्घटना का

भय तथा खनन उत्पाद को ढोने में लगे खच्चरों से होने वाली परेशानी आदि मुख्य प्रभाव है।

1.2 खडिया खनन हेतु सुझाव :

अनेक पर्यावरणीय व सामाजिक वैमनस्यता को समाप्त करने के लिए यदि सरकार खनन कार्य को आवश्यक समझती है तो निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना सार्थक होगा।

❖ सामान्यतः लीजधारियों द्वारा खनन लीज हेतु गांव वालों से जो एन0ओ0सी0 ली जा रही है उसका तरीका सर्वथा अनुचित है क्योंकि लीज क्षेत्र में विधवाओं, अनुसूचित जाति के कृषकों, सेना व अन्य नौकरी में कार्यरत लोगों की जमीन भी आती है जिनकों खनन लीज के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं होती है। अतः ग्राम सभा की आम बैठक में जो कोई भी खनन लीज हेतु आवेदन करता है उसको सर्वसहमति से लीज स्वीकृति/अस्वीकृति मिलनी चाहिए।

❖ खड़िया खनन लीज (1 से 2 हैक्टर भूमि) 50–100 नाली जमीन में दी जाती है लेकिन गांव में यह देखा गया है कि नाप भूमि जिसमें खड़िया उपलब्ध है वह भूमि एक साथ एक हैक्टर से भी कम होती है तो लीजधारी गांव में स्थित अन्य भूमि को भी पटवारी के माध्यम से लीज क्षेत्र में दर्शा देते है जो अनुसूचित है क्योंकि लीजधारी लीज स्वीकृति होने पर अपने को पूरे लीज क्षेत्र का मालिक समझने लगता है जो गांववासियों व लीजधारियों के बीच विवाद की समस्या पैदा करता है। अतः खनन लीज मात्र जिस भूमि में खड़िया उपलब्ध है उसी भूमि में किया जाये।

❖ उत्तराखण्ड के पर्वतीय सम्भाग के लिए सरकार को यह कानून बनाना चाहिए कि विशिष्ट संवेदनशील पट्टियों में खड़िया खनन की लीज स्वीकृत न की जाये। इसको एक अपराध घोषित करना चाहिए क्योंकि संवेदनशील पट्टियों में खनन करने से भूकम्प व भूस्खलन की स्थिति में भारी जन व धन की हानि की सम्भावना बनी रहती है।

❖ खड़िया खनन की लीज उसी गांव के निवासी को देनी चाहिए क्योंकि उसके द्वारा अवैध खनन करने पर ग्रामवासी रोक लगा सकते है। हमारे उत्तरदाताओं ने श्रम संविदा समिति के माध्यम से भी खडिया खनन करने का सुझाव दिया है, इससे एक तरफ खनन आय पर एकाधिकार नहीं होगा और खनन में कार्यरत मजदूरों का शोषण भी नहीं होगा।

❖ सामान्यतः यह देखने में आता है कि सरकारी मशीनरी स्वलाभ की दृष्टि से कार्यरत है क्योंकि सरकार अर्थदण्ड लगाकर अवैध व अवैज्ञानिक खनन से राजस्व की वसूली कर रही है जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवैध खनन पर रोक लगाई है। आज खनन क्षेत्र में माननीय उच्चतम न्यायालय की भी अवमानना हो रही है। अतः अवैध खनन करने वाले का लीज पट्टा निरस्त होना चाहिए न कि उस पर अर्थदण्ड लगे क्योंकि अवैध खननकर्ता अगर लाख रूपये की आय अर्जित कर हजार रूपये अर्थदण्ड देता है तो उसकी पूंजी में कोई असर नहीं पडता है, वर्तमान में अवैध व अवैज्ञानिक खनन के सर्वेक्षण की आवश्यकता है ताकि अवैध खनन रोका जा सके।

❖ यह भी देखने में आया है कि गांवों के निचले हिस्से में खनन किया जा रहा है जिस कारण ग्रामवासी अपने मकानों के गिरने के भय से ग्रसित है अतः मकानों के निचले भाग में खनन लीज पट्टा स्वीकृत नहीं होना चाहिए। इसके साथ–साथ खनन में किये जा रहे डायनामाइट के विस्फोटकों से ग्रामवासियों के मकानों मे दरारें आ रही है। विस्फोटकों पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगना चाहिए और हाथ से चलने वाले औजारों से ही खनन कार्य होना चाहिए या खनन की उच्च तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहिए।

❖ पंचायती/सिविल भूमि तथा नदी किनारे बुलडोजरों के माध्यम से किये जा रहे खड़िया खनन को रोक दिया जाना चाहिए क्योंकि बुलडोजरों द्वारा प्रतिदिन हजारों टन खनन मलबा वनों व नदी, नालों में फेंका जा रहा है। लोगों की हजारों एकड़ भूमि बाढग्रस्त व कटाव ग्रस्त हो गयी है और वनस्पतियों के उगने में बाधक बनी है तथा हरियाली को नष्ट कर रही है।

❖ यद्यपि खड़िया खनन के बाद खनन की गयी भूमि को समतल करने के लिए लीजधारी खनन शर्तों से बंधा है लेकिन खनन गड्ढों को भरने के लिए मिट्टी कहां सें आएगी? यह विचारणीय विषय है क्योंकि खनन गड्ढे इतने गहरे बन गये है जिनको समतल करना असम्भव हैं। इसकी वजह से खनन क्षेत्र की कृषि भूमि पर असर पड़ रहा है जो भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। अतः भूमि के समतलीकरण की शर्त का कड़ाई से पालन होना चाहिए।

❖ उत्तराखण्ड के मैदानी क्षेत्र के उद्योगों में जहां एक ओर 70 प्रतिशत उत्तराखंडियों के लिए सरकार ने आरक्षित किये है वहीं खड़िया खनन में भी 70 प्रतिशत नियुक्तियां उत्तराखण्डियों के लिए आरक्षित होने चाहिए क्योंकि वर्तमान समय में 90 प्रतिशत नेपाली खनन कार्य में संलग्न है जबकि उत्तराखण्डी युवा बेरोजगार, देश के अन्य भागों में पलायन कर रहे है।

❖ आज हम महिला सशक्तिकरण की बात कर उनको 50 प्रतिशत तक आरक्षण की मांग कर रहे है जो आवश्यक भी है लेकिन उत्तराखण्ड के पर्वतीय सम्भाग की महिलायें जो कृषि, पशुपालन व घरेलू कार्यो में अपना विशिष्ट योगदान देती है, आज हम खड़िया खनन के माध्यम से उनके पशुचारे को कम कर रहे हैं। अतः खनन क्षेत्र में पशुचारे की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि खनन की आय से महिलायें चारा–भूसा अपने जानवरों के लिए खरीद सके वरना क्षेत्र में पशुपालन कम या बन्द होने के कगार पर पहुच जायेगा।

❖ पिछले 60 वर्षो में किये गये विकास कार्यक्रमों के माध्यम से बनायी गयी लघु सिंचाई, पेयजल, सड़क, पैदल रास्ते व अन्य कार्यक्रमों के नुकसान होने की स्थिति में लीजधारी को मरम्मत का दायित्व सौंपना चाहिए। मरम्मत का कार्य न करने पर भारी अर्थदण्ड लगाना चाहिए।

❖ वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्र में खनन का कार्य पूंजीपरस्त व्यापायरियों के निजी स्वार्थ के अतिरिक्त कोई अन्य हितकारी लक्ष्य नजर नहीं आता है। इनके हाथों पहाड़ की मिट्टी बह व बिक रही हैं जिसके कारण पहाड़ का अस्तित्व असंभव होते जा रहा है और ये विकास की जगह विनाश की ओर बढ रहे है। अतः खनन लीजधारी से खनन मूल्य का कम से कम 25 प्रतिशत भाग खनन गांवों के विकास मे खर्च करना चाहिए क्योंकि खनन लीजधारी खनन से सोना ले रहें हैं तो ग्राम वासियों को तांबा–पीतल अवश्य मिलना चाहिए। इससे गांवों के अवस्थापना विकास में मदद मिलेगी।

❖ यह भी देखने में आया है कि खनन लीजधारी स्वंय के खेतों में खनन करने वालो से बिना अपना मजदूर लगाये खड़िया प्राप्त करते है और उसको ऊंचे मूल्य में बेचते हैं।

सरकार को सर्वेक्षण कर इस तरह की आय पर कर लगाना चाहिए ताकि सरकार को आय प्राप्त हो सके।

❖ यह भी सकारात्मक होगा कि खड़िया के सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपयोग होने वाले जो उत्पाद बनाये जाते हैं उनको पर्वतीय क्षेत्र में ही बनाया जाये। यदि वर्तमान में कुशल श्रमिकों की कमी हो तो उनको प्रशिक्षण हेतु भेजा जाये। पर्वतीय क्षेत्र का युवा वर्ग जो रोजगार की तलाश में दर–दर भटक रहा है वह उत्तराखण्ड में रोजगार पाने में सक्षम होगा, वहीं उत्तराखण्ड सरकार की आय में भी निरन्तर वृद्धि होगी।

❖ गांवो में खड़िया खनन के ढुलाई के लिए खच्चरों हेतु अलग से रास्ता होना चाहिए क्योंकि संकरे रास्तों के कारण बच्चों व सिर मे बोझ रखे लोगों को आने–जाने में अनेक कठिनाईयों को सामना करना पड़ता है।

❖ खनन से गम्भीर रूप से घायल मजदूर को उसके घर भेजना न्यायसंगत नहीं होगा वरन् मानवता के नाते उनका पूरा इलाज लीजधारी को करना चाहिए।

❖ यह कहावत कि **"सूर्य अस्त पहाड़ मस्त"** खड़िया खनन क्षेत्र में चरितार्थ हो रही है। आज मेले–त्यौहार आदि में झगड़ा–फसाद बढ गये है, इनको रोकने के लिए इन क्षेत्रों में अधिक पुलिस का इन्तजाम होना चाहिए।

अन्त में हिमालय हमारे देश का प्रहरी है यदि हिमालय में जन–जीवन शान्त व समृद्ध तथा उसका पर्यावरण सन्तुलित नहीं तो देश सुरक्षा की चैन कैसे प्राप्त कर सकता है? यदि हम खनन से होने वाले दुष्परिणामों से नहीं जागे तो सदियों से सुदूर पर्वतीय सम्भाग में निवास करने वाला इन्सान मूक दर्शक बनकर रह जायेगा। फायदा उठायेंगे चन्द खनन माफिया और भविष्य के कष्टों को झेलेंगे ये मूकदर्शक उत्तराखण्डी।

संदर्भ सूची

1. जयन्त बन्दोपाध्याय (1989) नेचुरल रिर्सोस मैनेजमेन्ट इन द फाउण्टेन इन्वर्नमेन्ट : इक्सप्रियेन्सेज फ्राम द दून वैली इण्डिया आई.सी.आई.एम.ओ.डी. ओकजनल पेपर नं.14 कांठमाण्डू, नेपाल।
2. राधा भट्ट (1983) खनन पहाड़ के लिए रोजगार या विनाश? हिमालयन मैन एण्ड नेचर, मार्च न्यू.दिल्ली।
3. माधव, आशीष (1986) द रोल ऑफ गलन्ट्री एजेन्सीज ट्रन रैस्पैक्ट ऑफ माइनिंग इन यू.पी. हिमालया, हिमालयन मैन एण्ड नेचर, जून 1986।
4. राधा, भट्ट (1986) खनन एवं पहाड़ का अस्तित्व, हिमालयन मैन एण्ड नेचर, न्यू दिल्ली।
5. राधा, भट्ट (1985) कुमायूँ मसूरी की राह पर ? हिमालयन मैन एण्ड नेचर, न्यू दिल्ली।
6. डा. एस.पी.बलोनी (1985) हिमालय क्षेत्रों में विनाश लीला, हिमालयन मैन एण्ड नेचर, न्यू दिल्ली।
7. पी.एस.वर्त्वाल (1986) हिमालय में भूस्खलन एवं भू–क्षरण, एक समस्या, हिमालय मैन एण्ड नेचर, न्यू दिल्ली।
8. प्रताप शिखर (1987) पहाड़ पर खुदे खदान तो मैदान बने रेगिस्तान, हिमालयन मैन एण्ड नेचर, न्यू दिल्ली।
9. ब्लाग, आरकाइन (2007) गूगल इन्टरनैट।
10. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत बनेत्तर प्रयोजनों के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने के लिए समेकित मार्गदर्शी सिद्धान्त (अक्टूबर 1992 में संशोधित) 25 अक्टूबर 1992, नई दिल्ली
11. बिट्टू सहगल, हिमालय की गोद में उथल पुथल, दैनिक जागरण 5 सितम्बर 1998, लखनऊ।
12. के.एस.दधवाल एण्ड बी.एस.कटियार (1990) मेजर्स फार द रिक्लेमेशन आफ एवैनडन्ड माइन्ड लैण्ड्स, हिमालयन मैन एण्ड नेचर, न्यू दिल्ली।
13. कन्हैया सिंह, कलियप्पा काजीराजन ए डीकेड ऑफ इकानामिक रिचार्ज इन इण्डिया : द माइनिंग सैक्टर, द आस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, केनबरा।
14. उत्तरांचल राज्य खनन नीति 2001शासनादेश पृष्ठांकन संख्या 1031/औ.वि./ 2001 दिनांक 30 अप्रैल 2001 अपर सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
15. उत्तरांचल राज्य की खनिज सम्पदा के अन्तर्गत मुख्य खनिज सोपस्ट्रोन के प्रोस्पेटिंग लाइसैन्स एवं खनन पट्टों को स्वीकृत किये जाने के की प्रक्रिया के संबंध में शासनादेश संख्या 834/औ.वि./88–ख/2003, दिनांक 7 जनवरी 2004 सचिव उत्तरांचल शासन, देहरादून।
16. किरीत कुमार एण्ड डी0 एस0 रावत (2000) इन्वार्नमैण्टल इम्पैक्ट आफ मिनरल इक्स्ट्रैक्सन इन कुमायू हिमालया, अर्थ रिर्सोज एण्ड इन्वार्नमैण्टल इश्यू, जी0 बी0 पन्त इन्स्टीटयूट आफ हिमालयन इन्वार्नमैन्ट एण्ड डैवलपमैन्ट।
17. हीरा वल्लभ भट्ट, जी0 एस0 रावत (1989) इम्पैक्ट आफ इण्डस्ट्रीज एण्ड माइनिंग आन वाटर रिर्सोसेज आफ दून वैली, हिमालयन मैन एण्ड नेचर न्यू दिल्ली।

परिशिष्ट I

18 फरवरी सन् 1999 ★ अमर उजाला बरेली

दास ने अवैध व अवैज्ञानिक खनन रोकने के आदेश दिए

अमर उजाला ब्यूरो

बागेश्वर, 17 फरवरी। उत्तरांचल विकास राज्य मंत्री नारायण राम दास ने कहा है कि अवैध व अवैज्ञानिक खनन रोकने के लिए शासन ने सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए हैं।

जिलाधिकारी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए श्री दास ने कहा कि उन्होंने कौसानी क्षेत्र के 11 ग्रामों को नवसृजित बागेश्वर जनपद में मिलाने के लिए उन्होंने शुरू से ही प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के एक शिष्टमंडल को सबसे पहले बोर्ड आफ रेवन्यू से भी मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होने से इस कार्य में देरी हो गयी। उनका अब भी यह प्रयास है कि बहुत जल्दी बागेश्वर तहसील क्षेत्र के ये गांव नवसृजित जनपद में बने रहें। उन्होंने कहा कि वन अधिनियम की मार झेल रही 26 सड़कों में लगे इस अधिनियम की स्वीकृति के लिए सम्बन्धित विभाग द्वारा उत्तरांचल विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किए हैं। जिन पर लखनऊ जाने पर तेजी से कार्यवाही की जाएगी।

राजकीय इंटर कालेज बदियाकोट में एक भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं होने पर उन्होंने कहा कि अब धीरे-धीरे यह स्थितियां समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि जनपद में जहां-जहां भी अवैध व अवैज्ञानिक खनन हो रहा हो, उन्हें रोकने को सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। श्री दास ने कहा कि उन्होंने बन्द पड़ी कुमट्रान फैक्ट्री के कर्मचारियों को अन्यत्र समायोजित करने के शासनादेश पूर्व में ही जारी हो गए हैं। श्री दास ने कहा कि बागेश्वर को आदर्श जिला बनाने के लिए सभी सामाजिक, राजनैतिक कार्यकर्ताओं व अधिकारियों व कर्मचारियों से सहयोग की अपील की।

एक दर्जन गांवों में पेयजल संकट

बागेश्वर, 17 फरवरी। विकासखंड के विभिन्न हिस्सों में हो रही पेयजल की भारी किल्लत से लोगों को गंदा पानी पीने को विवश होना पड़ रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार खोलीगांव, फटगली, गौरी उडियार, हड़बाड़, कांडा, देलमेल, मल्सूना, खातीगांव, दिगोली, हथरसिया, दफौट, बुड़धूना, भैरोंचौबट्टा, कवाग आदि गांवों में लम्बे समय से पेयजल की भारी किल्लत हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त गांवों की लाइनें लम्बी समय से अस्त- व्यस्त पड़ी हैं और कई स्थानों पर लाइनें उखड़ी हैं। टंकियों में दरारें पड़ गयी हैं, लेकिन विभाग चुप्पी साधे बैठे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आन्दोलन करेंगे।

22/2/99 बरेली 99

गेश्वर अमर उजाला

अवैज्ञानिक खनन से ग्रामीण सम्पत्तियों को खतरा

बागेश्वर, 21 फरवरी। जनपद के विभिन्न हिस्सों में हो रहे अवैज्ञानिक खनन से कई गांवों की सार्वजनिक सम्पत्तियों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। राजस्व पुलिस द्वारा इस तरह के खननों को रोकने के कोई भी प्रयास नहीं किये जाने से लोगों में रोष व्याप्त है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद के कई हिस्सों में हो रहे अवैज्ञानिक खड़िया खनन से कतिपय स्थानों पर नहरों, पैदल रास्तों, मोटर मार्गों, स्कूल भवनों व मोटर सड़कों को गंभीर खतरा हो गया है। बताया जाता है कि कई स्थानों पर खनन मानकों का खुला उल्लंघन कर 10 से 12 फिट तक गहरी खुदाई कर विशालकाय खड्ड भी बन गए हैं, लेकिन इन्हें भरे नहीं जाने से उन स्थानों पर तालाब बन गए हैं। जिससे रिहायशी इलाकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई संगठनों से जुड़े हुए प्रतिनिधियों ने इस तरह के खनन को रोकने के लिए जिला प्रशासन को कह चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर क्या कार्यवाही हुई यह यहां किसी को भी पता नहीं है। जनपद के विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि वह बिना किसी भी दबाव आकर जनपद के जिन-जिन हिस्सों में अवैज्ञानिक खनन हो रहा हो उन्हें तत्काल प्रभाव से रोके अन्यथा क्षेत्र में बहुत बड़े खतरे की आशंका बनी है।

वन अधिनियमों को ताक में रख अवैध खनन जारी

निज प्रतिनिधि

धरमघर, 18 अक्टूबर। वन अधिनियम कानून के अन्तर्गत खनन पर रोक के निर्देशों राय को धता बनाते हुए ठेकेदारों एवं पुलिस, राजस्व पुलिस की चांदी कट रही है। भारी सुविधा शुल्क लेकर बेरीनाग थल पुलिस द्वारा रेता, बजरी, लकड़ी, पत्थरों की निकासी दी जा रही है। ज्ञात हो थल नाचनी, बागेश्वर, सेराघाट नदियों से लम्बे समय से खनन माफिया सुप्रीम कोर्ट के वन अधिनियम कानून को धता बनाकर रेता बजरी लकड़ी की तस्करी क्षेत्र में करवा रहे हैं। सूत्रों से पता चला है कि खनन माफियाओं द्वारा मिली धनराशि राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच रही है।

इधर भारत परिषद के मण्डलीय अध्यक्ष गंगा सिंह पांगती ने सुप्रीम कोर्ट के नव नियुक्त न्यायाधीश को पत्र लिख पिथौरागढ़ प्रशासन थल थाने के थानाध्यक्ष बेरीनाग थानाध्यक्ष के खिलाफ अवैध रूप से रेता बजरी लकड़ी की माफियाओं से साथ मिल कर तस्करी करवाने का आरोप लगाया है। श्री पांगती ने कहा कि भारत में वन अधिनियम के चलते जहां वनों पर आश्रित उत्तराखण्ड के लोग सर्वाधिक प्रभावित हो रहे हैं, वहीं सामान अब दस गुने भाव पर माफिया उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे ग्रामीण गरीब तबके के नागरिकों के मकानों का काम रुका है। उन्होंने प्रेस को विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन पुलिस वन विभाग को खनन माफियाओं से भारी रकम मिल रही है। इसी कारण रेता बजरी लकड़ी के दाम अब दस गुना बढ़ गये हैं। उन्होंने कहा है कि बेरीनाग, कोटमन्या, पांखू, गंगोलीहाट सहित अन्य कस्बों एवं गांवों में पचास गाड़ी रेता बजरी प्रतिदिन उतार रही हैं तथा कई ट्रक मालिकों से प्रति माह पुलिस को भारी धनराशि उपलब्ध हो रही है। उन्होंने मुख्य न्यायधीश को पत्र लिख खनन से रोक हटाने की मांग के साथ तस्करी में लिप्त पिथौरागढ़ प्रशासन एवं पुलिस के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है।

दैनिक अमर उजाला

13/2/99

गलत तरीके से किए जा रहे खनन को रोका जाए

बागेश्वर, 12 फरवरी। जिला पंचायत अध्यक्ष बलवन्त सिंह भौर्याल ने जनपद के विभिन्न हिस्सों में हो रहे [illegible] खड़िया खनन पर गंभीर चिंता व्यक्त [illegible] उन्होंने जिला प्रशासन से इस तरह के खनन को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। श्री भौर्याल ने कहा है कि वर्तमान में खनन के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, जिससे पैदल रास्तों, सड़कों, पेयजल योजनाओं व नालों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ गयी [illegible]

परनागी चौकी जनरदर पि. [illegible]

परिशिष्ट - II

हीरा सिंह कम्र्याल पत्रालय/निवास
काण्डा (बागेश्वर)

अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी
मंडल बागेश्वर

दिनांक ------

प्रतिष्ठा में,

माननीय मुख्य मंत्री
उ०प्र० शासन लखनऊ ।

विषय:- नवसृजित जनपद बागेश्वर के काण्डा क्षेत्र मे खड़िया खनन रोके जाने के संबंध में।

महोदय,

सादर अभिवादन इस प्रकार है कि जनपद बागेश्वर के काण्डा क्षेत्र में विगत कई वर्षो से अवैध/अवैज्ञानिक तरीके से खड़िया खनन किया जा रहा है जिससे उक्त क्षेत्र भूस्खलन के दायरे में है क्षेत्रीय जनता बार-बार शासन प्रशासन से खड़िया खनन बन्द कराने की मांग वर्षो से करती आ रही है। परन्तु गरीब जनता की आवाज सुनने वाला कोई नही है।

इस क्षेत्र में बिना क्षेत्र वासियों को विश्वास में लिए बिना हजारों नाली जमीन में धनबल व बाहुबल से पट्टे अपने नाम बना लिए हैं साथ ही खनन कार्य भी खनन एक्ट के अनुसार नही किया जा रहा है कृषि योग्य खेतों में ३५-४० फीट गड्ढे खोदे जाते हैं और उनको बन्द नहीं किया जाता है जिसमें बरसात में पानी भर जाता है। इस प्रकार कई लोगों के मकान बह चुके हैं तथा कई नाबालिक मजदूर की जानें इन खानों में जा चुकी है।

उक्त क्षेत्र में खड़िया खनन से जहां एक ओर पर्यावरण दूषित हो रहा है दूसरी ओर क्षेत्र में गुण्डागर्दी व बदमाशी के माहौल से सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण भी दूषित हो रहा है।

अस्तु महोदय से समस्त क्षेत्रीय जनता करबद्ध प्रार्थना करती है कि सम्पूर्ण क्षेत्र का निरीक्षण कराकर खड़िया खनन पर प्रतिबन्ध लगाने की असीम कृपा करें। ताकि भविष्य में मालपा जैसा हादसा होने से इस क्षेत्र को बचाया जा सके।

साभार
समस्त क्षेत्रीय जनता की ओर से
हीरा सिंह कम्र्याल (अध्यक्ष भाजपा)

प्रधान
ग्राम पंचायत भदीरा

प्रतिलिपि -

डा० रमेश पोखरियाल उ० प्र० मंत्री	नारायण राम दास उ० प्र० राज्यमंत्री	जिलाधिकारी बागेश्वर	निदेशक खनिज उ० प्र०

प्रधान

महामंत्री
भारतीय जनता पार्टी
ग्रामीण मण्डल-बागेश्वर

ग्राम सभा पैलपोथ
जि० ५० बागेश्वर
(अल्मोड़ा)

परिशिष्ट - IV

नागरिक तथा पत्रकार उपस्थित थे। ... शर्मा अनियाहित थे। | ...ला मंत्री रा. बलवन्त सिंह नारला शामिल हैं। | आईसी एक्ट के तहत पर्यावरण कर... | रहा था। इसप... | ...चार लाख जान तक पटना | चक्काजाम किया तथा प्रशासन द्वारा आश्वा...

खड़िया खनन से पहाड़ों के पर्यावरण को भारी खतरा

- बागेश्वर में खड़िया खनन के लिए चार दर्जन और लोगों के आवेदन
- जनाक्रोश मुखर, संगठन लामबंद होने शुरू
- प्रशासनिक अधिकारी ने पहाड़ों के सफाये का संकेत बताया

(बागेश्वर कार्यालय)

बागेश्वर। सरकार की ओर से बिना किसी-रोक टोक के ही अंधाधुंध बांटे जा रहे खड़िया खान के पट्टों के चलते कुमाऊं की पहाड़ियों में भयंकरतम पर्यावरण संकट की सोची समझी सरकारी साजिश चल रही है। पूर्व की जन विरोधी खड़िया खानों के बावजूद अकेले बागेश्वर क्षेत्र में ही इस बीच चार दर्जन से अधिक लोगों ने लीज के पट्टों के लिये प्रशासन को अपने आवेदन दाखिल किये हैं। परन्तु खड़िया खनन के भयावह परिणामों को देखते हुए इस बीच जनाक्रोश मुखर हो उठा है। क्षेत्र के कई सामाजिक संगठन खड़िया खनन के नये जारी होने जा रहे लीज पट्टों के विरोध में लामबंद भी होना शुरू हो गये हैं यहां तक कि पर्यावरणीय दुष्परिणामों से घबड़ाये एक प्रशासनिक अधिकारी ने भी खड़िया खनन को पहाड़ों के सफाये का संकेत बताया है। परन्तु इस सबके बावजूद भी पहाड़ों की बर्बादी के पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं हो पा रही है।

उल्लेखनीय है कि पहाड़ में शराब, लीसा, लकड़ी और खड़िया खनन से जुड़े माफिया तंत्र का जाल फैला हुआ है। पूर्व में जहां एक ओर माफिया तबके का जुड़ाव सिर्फ शराब, लीसा और लकड़ी तक ही बना रहता था, वहीं विगत एक दशक से पहाड़ी जमीन को भी नोंच डालने के लिये खड़िया (सोप स्टोन) के नाम से एक नया माफियातंत्र पहाड़ में तेजी से सक्रिय हुआ है।

बताते हैं कि खड़िया के पट्टे चाहने के लिये इस बीच माफिया तंत्र में होड़ सी मची है। उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती मुलायम सिंह और निवर्तमान मायावती सरकार तक दबदबा रखने वाले लीसा व शराब माफियाओं की पहुंच का परिणाम है कि पर्वतीय क्षेत्र में इस बीच बेतहाशा संख्या में खड़िया खनन के ठेकेदार बरसाती कुकुरमुत्तों की तरह उग आये हैं। कुमाऊं के कुछ चुनिन्दा स्थलों नाचनी (पिथौरागढ़) पुंगरघाटी, जखेड़ा, सोराग, तीख, बदियाकोट (बागेश्वर) आदि क्षेत्रों में खड़िया खोदने के लिये माफिया तत्वों की होड़ सी लगी है। बताते हैं कि राष्ट्रीय और विश्व बाजार में सौन्दर्य प्रसाधनों की बढ़ती हुई मांग के चलते अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खड़िया पत्थर (सोप स्टोन) की मांग और मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हुई है। खान बाजार से जुड़े सूत्र बताते हैं कि एक बैग खड़िया की कीमत तीन सौ से दो हजार रुपये तक भी मिल जाती है, जबकि सोप स्टोन का कच्चा पाउडर बनाकर बेचने पर इसका मूल्य कई गुना अधिक हो जाता है। बताते हैं कि चमोली गढ़वाल के घाट नामक स्थान से खोदी जाने वाली खड़िया बड़े अच्छे दामों में खरीदी जाती है। इसी सबके चलते मजदूरों का बेदर्दी से शोषण कर रातों रात करोड़ों में खेलने के लिये खड़िया खनन का यह व्यवसाय पहाड़ों में बरदान साबित हो रहा है, परन्तु इस सबके लिये जिम्मेदार एक सरकारी साजिश ने पर्यावरण के मुद्दे को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है।

सामान्यतया खड़िया खनन का पट्टा हासिल करना एक नामुमकिन सा काम होता है परन्तु इस सबके लिये जवाबदेह भूगर्भ विभाग, प्रशासन और खनन मंत्रालय की मिलीभगत का परिणाम है कि खान का पट्टा चाहने वाले की ओर से चांदी का जूता दिखा देने से सभी असंभव काम मिनटों में बैठे-बैठे संभव हो जाते हैं। खनन नियमों के अधीन जितने भर क्षेत्र में खदान किया जाता है, उतने ही क्षेत्रफल में अन्यत्र वृक्षारोपण के सख्त निर्देश हैं, परन्तु खनन व्यवसाय से जुड़े किसी एक ने भी इसका पालन शायद ही किया हो। पहाड़ के अस्तित्व को लेकर सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि तमाम तरह के अवैज्ञानिक तरीकों से जमीनें खोदकर यहां से खड़िया पत्थर बाहर ले जाया जा रहा है। परिणामतः स्थानीय ग्रामीणों की अच्छी किस्म की कृषि योग्य उपजाऊ जमीन प्रतिवर्ष बाढ़ व मलबे की भेंट चढ़ रही है। पर्यावरणवादियों का मानना है कि इसी रफ्तार से खनन कार्य चलता रहा तो आने वाले पांच साल के भीतर कुमायूं की पहाड़ियों में बाढ़ के खतरे दस गुना से भी अधिक बढ़ जायेंगे और शायद ही कहीं पर कृषि योग्य जमीन बच पायेगी। इस सबसे डरे-सहमे क्षेत्रीय ग्रामीणों का आक्रोश मुखर हो रहा है।

पहाड़ में खड़िया खनन का यह अनैतिक व्यवसाय किस तरह से सोने की अंडा देने वाली मुर्गी साबित हो रहा है, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि विगत एक पखवाड़े के भीतर चार दर्जन से अधिक आवेदन पत्र बागेश्वर प्रशासन के पास लीज में पट्टों हेतु भेजे गये हैं, जबकि दो दर्जन से अधिक खड़िया खानें बीते दो माह के भीतर स्वीकृत की गयी हैं।

भूगर्भ सर्वे विभाग (जी.एस.आई.) और स्थानीय प्रशासन की माफिया तत्वों से मिलीभगत उस वक्त साफ जाहिर होती है, जबकि उन स्थानों पर भी खड़िया खोदने के पट्टे जारी कर दिये गये हैं जहां पर वर्तमान में एकड़ों के हिसाब से नीचे कृषि योग्य जमीन है और ऊपर से धकाधक खड़िया खोदनी शुरू कर दी गयी है। इसी तरह का मामला बागेश्वर के कांडा क्षेत्र से प्रकाश में आया है। बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के तथाकथित प्रभावशाली एक नेता के दबाव में जनता की खेती योग्य जमीन को भुलाकर प्रशासन ने यह खड़िया खान स्वीकृत कर दी। कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ और सिर्फ माफिया तत्वों के पैसों के सहारे सत्ता तक पहुंचने की कल्पना लिये राजनैतिक लोगों की नीतियों के चलते पहाड़ के साथ ऐसा क्रूर मजाक किया जा रहा है। इस सबकी प्रक्रिया में स्थानीय प्रशासन के भी काले हाथ हो जाने से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि प्रशासन इस सबके दूरगामी परिणामों से आगाह नहीं है। खनन स्वीकृति के मामलों से जुड़े एक प्रशासनिक अधिकारी ने अपना नाम न छापने के अनुरोध सहित उत्तर उजाला को बताया कि इस अंधाधुंध खनन से पहाड़ बहुत जल्द ही बर्बादी के कगार पर आ जायेंगे।

प्रश्न उठता है कि पृथक राज्य का नारा अलाप रहे राजनैतिक दल क्या राज्य बनने से पहले ही यहां के प्राकृतिक पर्यावरण को नष्ट होने के साथ-साथ ही यहां की औद्योगिक सम्पदा को भी बाहर के बाजारों में भेजा जाना आंख मूंद कर देखे रहेंगे? ऐसा भी नहीं है कि यहां की जमीन खोदे जाने के बदले किसी स्थानीय बाशिन्दे को रोजगार भी मिल पा रहा है। बताते हैं कि खनन का यह व्यवसाय पूरी तरह से नेपाली मजदूरों पर आधारित होता है और भारतीय मजदूरी अधिनियम के तमाम शर्तों व नामों का खुला उल्लंघन इस व्यवसाय से जुड़े मजदूरों के साथ सामन्यतया देखा जा सकता है।

प्रशासन की ओर से बेतहाशा बांटे जा रहे खड़िया खनन के पट्टों के विरोध में इस बीच क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन लामबंद होने शुरू हो गये हैं। पुंगरघाटी किसान संगठन ने रीमा पुंगर क्षेत्र में, लाहुर घाटी विकास संघर्ष समिति ने जखेड़ा क्षेत्र में, भूतपूर्व किसान सैनिक दल ने कांडा क्षेत्र में खड़िया खनने के विरोध में आन्दोलन की चेतावनी दी है। कतिपय संगठनों ने पर्यावरण के दुष्परिणाम तो कुछेक ने रोजगार व मजदूर उत्पीड़न को आंदोलन का मुद्दा बनाया है। अनुमान है कि प्रशासन की ओर से पहाड़ की तबाही का यही सोच बना रहा तो जल्द ही सम्पूर्ण क्षेत्र को भयंकरतम जनान्दोलन के लिये तैयार रहना होगा।